



भारत सरकार



दायित्व बोध


एक कदम हिंदी की ओर.....



वर्ष : 2025-26

अंक: प्रथम

संस्करण: प्रथम



सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)



आमुख

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह वह सूत्र है जो देश के विविध भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों को एक सशक्त बंधन में जोड़ता है। हमारे कार्यालय (एस.पी.एन.आई.डब्ल्यू.सी.डी.) की यह "ई-हिंदी पत्रिका" उसी भावना की एक सजीव कड़ी है, जो राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसके प्रभावी प्रयोग को सशक्त करने के उद्देश्य से समर्पित है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, जब हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण का विस्तार हो रहा है, तब "ई-हिंदी पत्रिका" एक नवीन पहल के रूप में न केवल आधुनिकता को अपनाती है, बल्कि परंपरा के मूल्य और साहित्यिक संवेदना को भी संजोए रखती है। यह मंच हमारे सहकर्मियों के विचारों, सृजनात्मक अभिव्यक्तियों, और हिंदी के प्रति समर्पण को साझा करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है।

पत्रिका के इस अंक में विभिन्न लेख, कविताएँ, संस्मरण, निबंध तथा राजभाषा गतिविधियों से संबंधित रचनाएँ सम्मिलित की गई हैं, जो हिंदी के विविध स्वरूपों को उजागर करती हैं। हमें विश्वास है कि यह पत्रिका न केवल पढ़ने योग्य होगी, बल्कि हिंदी भाषा के प्रति हमारे गर्व, दायित्व और प्रेरणा को भी सशक्त करेगी।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हिंदी को न केवल राजभाषा के रूप में, बल्कि जनभाषा, ज्ञानभाषा और व्यवहार भाषा के रूप में भी सशक्त बनाएं। यही हमारे हिंदी पखवाड़े और ई-हिंदी पत्रिका का मूल उद्देश्य है।

- संपादक मंडल
हिंदी पत्रिका
(एस.पी.एन.आई.डब्ल्यू.सी.डी.)

संपादकीय



प्रिय पाठकों,

हम आपके समक्ष अपने कार्यालय की हिंदी ई-पत्रिका का प्रथम अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। यह पत्रिका हमारे सहयोगियों के साहित्यिक, रचनात्मक और वैचारिक योगदान का परिणाम है। हमें आशा है कि इस अंक में संकलित रचनाएँ पाठकों को प्रेरित करेंगी और हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाएँगी। यह संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रथम अंक है, अतः इसमें कुछ त्रुटियों की संभावना से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। तथापि, इसे व्याकरणिक शुद्धता एवं भाषाई परिष्कार के स्तर पर यथासंभव जांच-परख कर प्रकाशित किया गया है।

‘दायित्व बोध’ ई-हिंदी पत्रिका, समन्वय, सहयोग एवं संवाद को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम है। पत्रिका के माध्यम से हिंदी के प्रयोग, संवर्धन तथा प्रशासनिक कार्यों में उसकी उपयोगिता को प्रभावी रूप से रेखांकित किया गया है।

प्रथम अंक में हिंदी के प्रसार से संबंधित गतिविधियों, अनुभवों एवं नवाचारों का समावेश किया जाता है, जिससे कार्य-संस्कृति में सकारात्मकता तथा जनोन्मुखी दृष्टिकोण का विकास होता है। यह पत्रिका केवल विचार-विनिमय का मंच न होकर, राजभाषा हिंदी को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुदृढ़ रूप से स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक पहल है।

आशा है कि यह पत्रिका भविष्य में भी हिंदी के विकास एवं प्रशासनिक दक्षता के संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

सादर,

योगेश विक्रांत

अनुसंधान सहायक
(संपर्क अधिकारी, हिंदी)

अशोक कुमार सिंह

हिंदी अनुवादक
(संयुक्त संपादक)

वलेटि प्रेमचंद
निदेशक
एस०पी०एन०आई०डब्ल्यू०सी०डी०
क्षेत्रीय केन्द्र,
लखनऊ।



सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं
बाल विकास संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार)

शुभकामना संदेश

हिंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता की सशक्त पहचान है। संस्थान द्वारा प्रकाशित यह हिंदी ई-पत्रिका, निश्चय ही हमारे मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मकता, संवेदनशीलता और हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदहारण प्रस्तुत करेगी।

मुझे हर्ष है कि यह पत्रिका कार्यालय के हिंदी प्रयोग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कर्मचारियों की साहित्यिक अभिरुचि को भी प्रोत्साहन देगी। इस प्रयास से न केवल राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बल मिलेगा, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदनाओं का भी व्यापक प्रसार होगा।

मैं इस पत्रिका से जुड़े सभी संपादक मंडल, लेखकों तथा सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पत्रिका निरंतर नई उँचाइयाँ प्राप्त करे।

प्रेमचंद

(वलेटि प्रेमचन्द)

डॉ. अनील वी. बी. बाबू
क्षेत्रीय निदेशक
एस०पी०एन०आई०डब्ल्यू०सी०डी०
क्षेत्रीय केन्द्र
लखनऊ।



सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं
बाल विकास संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार)

शुभकामना संदेश

मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्थान की हिंदी ई-पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह ई-पत्रिका न केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, बल्कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार एवं बौद्धिक विमर्श को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल भी है।

इस ई-पत्रिका के माध्यम से विचारों, अनुभवों, नवाचारों तथा उपलब्धियों को साझा करने का एक सशक्त डिजिटल मंच उपलब्ध होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें प्रकाशित लेख, कविताएँ, विचार और अनुभव पाठकों को प्रेरित करेंगे तथा ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे।

मैं इस ई-पत्रिका के संपादक मंडल, लेखकों, तकनीकी टीम तथा इससे जुड़े सभी सहयोगियों को उनके समर्पण, परिश्रम और रचनात्मक प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा है कि यह ई-पत्रिका निरंतर प्रगति करती रहेगी और भविष्य में भी गुणवत्ता, मौलिकता एवं नवाचार के नए मानदंड स्थापित करेगी।

ई-पत्रिका "दायित्व बोध" के उज्ज्वल भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

अनील बाबू

(डॉ. अनील वी. बी. बाबू)

अनुक्रमणिका

दायित्व
बोध

ई-पत्रिका

प्रथम अंक,
2025-26

सावित्रीबाई फुले
राष्ट्रीय महिला एवं
बाल विकास
संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र,
लखनऊ

मार्गदर्शक
क्षेत्रीय निदेशक

संपादक मंडल
योगेश विक्रान्त,
संपर्क अधिकारी, हिंदी
अशोक कुमार सिंह,
हिंदी अनुवादक

मनीषा वर्मा,
सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष

इसमें प्रकाशित
रचनाओं में व्यक्त
विचार लेखक/
रचनाकारों के अपने
हैं। संपादक मंडल
इसके लिए जिम्मेवार
नहीं है।

शीर्षक	पृष्ठ सं.
<ul style="list-style-type: none"> आमुख संपादकीय शुभकामना संदेश सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ अनुशासन : सुदृढ़ कार्य संस्कृति एवं राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार 	2-12
काव्य साहित्य <ul style="list-style-type: none"> कविता 	13-26
कथा साहित्य <ul style="list-style-type: none"> दो बगीचे दो किस्में : सफलता के दो रास्ते उचित देखभाल और बाल विकास 	27-31
विशेष लेख <ul style="list-style-type: none"> विलंबित विकास वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का महत्त्व सरकारी संस्थानों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वैधानिक भूमिका, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक प्रभावशीलता पोषण वाटिका: आंगनवाड़ी लाभार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा की हरित पहल समय की त्रिवेणी पर खड़ी स्त्री मनुष्य और मनुष्यता बच्चों की समस्याओं की पहचान : मनोसामाजिक संदर्भ और 'आंतरिक आवाज' कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई टूल्स) : भविष्य की दिशा लेखा को समझना: वित्तीय प्रबंधन का आधार 	32-57
गद्य साहित्य <ul style="list-style-type: none"> हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने संबंधी चुनौतियाँ स्वस्थ आदतें, स्वस्थ आप इच्छा शक्ति साइकिल वाली दीदी 	58-65
स्लोगन	66
<ul style="list-style-type: none"> प्रशासनिक शब्दावली स्वतंत्रता दिवस, 2025 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ राजभाषा हिंदी पखवाड़े की कुछ झलकियाँ हिंदी कार्यशाला की अनूठी झलकियाँ 	67 68-70 71-76 77-81



सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ

एस.पी.एन.आई.डब्ल्यू.सी.डी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत नई दिल्ली में वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। देश की क्षेत्र विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थान ने पांच क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किए थे जो कि गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982) इंदौर (2001) और मोहाली (2019) में स्थित हैं। इसके अलावा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 4 जुलाई, 2025 को संस्थान के रांची, झारखण्ड स्थित छठवें क्षेत्रीय केंद्र (2025) का उद्घाटन किया है। यह संस्थान 1975 से समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के साधनों के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत है। समेकित बाल विकास सेवा योजना, आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े और बेजोड़ कार्यक्रमों में से एक है। इस संस्थान को नोडल संसाधन संस्था के रूप में एक नई योजना समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के आंगन के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ प्रशिक्षण, परामर्श सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के संचालन और महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में शोध सेवाएं उपलब्ध कराने वाला प्रमुख संस्थान है। एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में गुणवत्ता निर्धारण का सुनिश्चय करना जारी रखा है।

संस्थान के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद नामक दो मुख्य संवैधानिक निकाय हैं। साधारण निकाय संस्थान की समग्र नीतियां बनाती हैं और कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों निकायों में सरकार और स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, संस्थान जिनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, साधारण निकाय के सभापति हैं। साधारण निकाय के सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

संस्थान के उद्देश्य:

- समाज विकास में स्वैच्छिक कार्य का विकास करना और इसे बढ़ावा देना।।
- राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में प्रासंगिक जरूरत आधारित कार्यक्रम विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- समाज विकास में सरकारी और स्वैच्छिक कार्य के लिए तालमेल लाने के उपाय विकसित करना।
- सरकार और स्वैच्छिक प्रयासों के ज़रिए बच्चों के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बुनियादी ढांचा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना।

- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा संस्थान जैसी गतिविधियों में संलग्न निकायों से संपर्क स्थापित करना शामिल है।

प्रशिक्षण में उत्कृष्टता

(सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) के सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख (नोडल) केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- प्रति वर्ष लगभग 450-500 भौतिक एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- आंगनवाड़ी सेवा योजना तथा बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी है।
- विभिन्न अनुसंधान-आधारित गतिविधियों में संलग्न है।
- क्षेत्रीय प्रदर्शन (Field Demonstration) एवं परामर्श (Counselling) गतिविधियाँ आयोजित करता है।

उन्नति के लिए सहभागिता

- गतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- उन्नत अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण।
- मिशन सक्षम एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति जैसी पहलों के अंतर्गत कार्य।
- बाल विकास और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान।
- बाल निर्देशन केंद्र, किशोर निर्देशन एवं सेवा केंद्र जैसे- बच्चों और किशोरों के लिए विस्तार गतिविधियाँ।

“हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, राष्ट्र की आत्मा है।”

-मैथिलीशरण गुप्त



अनुशासन : सुदृढ़ कार्य संस्कृति एवं राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार

भारतवर्ष की बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक परंपरा में हिंदी भाषा एक सशक्त संपर्क माध्यम के रूप में समाज, प्रशासन एवं संस्कृति के विविध आयामों को एकसूत्र में पिरोने का कार्य करती है। हिंदी न केवल संवाद का साधन है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा प्रशासनिक समन्वय की भी प्रमुख वाहिका है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के उपरांत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत भारत सरकार को हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया।

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम, 1976 के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की ठोस व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, सरल, उत्तरदायी तथा जनोन्मुख बनाना भी है।

इसी व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिंदी के संवर्धन हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा चतुर्थ हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय “अनुशासन” निर्धारित किया गया। इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य संस्थान के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अनुशासित कार्यसंस्कृति का विकास करना तथा राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

अनुशासन : जीवन एवं प्रशासन का मूलाधार

अनुशासन किसी भी संगठित व्यवस्था का मूलाधार है। यह केवल नियमों का पालन मात्र नहीं, बल्कि आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, समयपालन तथा कर्तव्यनिष्ठा का समन्वित रूप है। जिस प्रकार किसी भवन की स्थिरता उसकी मजबूत नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार किसी संस्था की कार्यकुशलता एवं प्रतिष्ठा अनुशासित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का प्रारंभ परिवार से होता है। परिवार में प्राप्त संस्कार ही आगे चलकर विद्यालय, समाज तथा कार्यस्थल पर उसके आचरण में परिलक्षित होते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का समुचित विकास हो जाए, तो वह न केवल स्वयं के जीवन को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि समाज एवं संस्था के लिए भी प्रेरणास्रोत बनता है। प्रसिद्ध विचार है—

“अनुशासन ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुँचाती है।”

इसी विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इस हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन : अनुशासन की भावना का संचार

कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी **श्री रणधीर कुमार सिंह** (हिंदी कार्यशाला निदेशक) द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ किया गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यशाला की विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया।

अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता का मूलाधार अनुशासन होता है। यदि कार्यस्थल पर समयपालन, नियमों का पालन, उत्तरदायित्व की भावना तथा पारस्परिक सम्मान का वातावरण विद्यमान हो, तो संस्था की कार्यक्षमता स्वतः सुदृढ़ हो जाती है।

उद्घाटन सत्र के अंतर्गत सहायक निदेशक **श्रीमती लीना कुमारी** को "अनुशासन" विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अनुशासन का वास्तविक आरंभ व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से होता है। परिवार में बालक जो संस्कार ग्रहण करता है, वही आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का आधार बनते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासन केवल बाह्य नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है तथा समय और व्यवस्था का सम्मान करता है, तभी वास्तविक अनुशासन का विकास संभव होता है।

राजभाषा हिंदी एवं अनुशासन का अंतर्संबंध:

कार्यशाला के प्रथम सत्र में **श्री रणधीर कुमार सिंह** द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रशासनिक महत्त्व तथा अनुशासन के साथ उसके अंतर्संबंध पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक समन्वय की महत्त्वपूर्ण आधारशिला भी है।

उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास की भूमिका का उल्लेख करते

हुए कहा कि यह समिति शासकीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा, प्रोत्साहन तथा समस्याओं के समाधान हेतु महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। हिंदी दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को पुरस्कृत किया जाना भी राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

अनुशासन के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्यालयीन कार्यों में समयबद्धता, नियमबद्ध पत्राचार, अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, तो प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है।

उन्होंने कहा—

“अनुशासन सफलता की कुंजी है और अनुशासित संस्था ही दीर्घकालिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।”

कार्यस्थल पर गरिमा एवं सुरक्षा : कानूनी प्रावधानों की प्रासंगिकता

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में सहायक निदेशक **श्री दीपक यादव** द्वारा "अनुशासन की परिधि में कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कानूनी प्रावधान" विषय पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं जागरूकतापरक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने अनुशासन की व्याख्या करते हुए बताया कि 'अनुशासन' शब्द संस्कृत के दो पदों—'अनु' तथा 'शासन'—से निर्मित है। 'अनु' का अर्थ है 'अनुसरण करना' तथा 'शासन' का अर्थ है 'नियम अथवा व्यवस्था'। इस प्रकार अनुशासन का तात्पर्य है—नियमों एवं व्यवस्थाओं का समुचित पालन करते हुए संयमित एवं उत्तरदायी आचरण करना।

उन्होंने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन अथवा साइबर व्यवहार हो सकता है, जो किसी कर्मचारी की गरिमा एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है।

उत्पीड़न की घटनाएँ न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास को आहत करती हैं, बल्कि संस्था की कार्यक्षमता एवं प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य है। यह समिति शिकायतों की जांच कर न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक अनुशासित संस्थागत वातावरण में स्पष्ट आचार संहिता, संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था तथा पारदर्शी प्रक्रियाएँ होने से उत्पीड़न की संभावनाएँ न्यूनतम हो जाती हैं।

उनके शब्दों में—

“सुरक्षा और सम्मान—अनुशासित कार्यसंस्कृति की आधारशिला हैं।”

हिंदी कार्य के प्रोत्साहन में अनुशासन की भूमिका: कार्यशाला के तृतीय सत्र में अनुसंधान सहायक श्री योगेश विक्रांत द्वारा “कार्यस्थल पर हिंदी कार्य के प्रोत्साहन में अनुशासन का आधार एवं उपयोगिता” विषय पर अत्यंत प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए गए।

उन्होंने अपने उद्बोधन का आरंभ इस सारगर्भित पंक्ति से किया—

“हिंदी है पहचान, अनुशासन है सम्मान।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी का प्रभावी प्रयोग तभी संभव है जब कार्यालयीन कार्यसंस्कृति अनुशासित एवं उत्तरदायी हो। यदि कार्यालय को एक जीवित शरीर के रूप में देखा जाए, तो अनुशासन उसकी रीढ़ के समान है। जिस प्रकार रीढ़ के बिना शरीर संतुलित नहीं रह सकता, उसी प्रकार अनुशासन के अभाव में कार्यालयीन व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं रह सकती।

उन्होंने हिंदी कार्य में अनुशासन की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा कि शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट भाषा में समयबद्ध पत्राचार, सुव्यवस्थित अभिलेख संधारण तथा राजभाषा नियमों का समुचित पालन प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने संत कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे का उल्लेख करते हुए कहा—

“धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।”

अर्थात् किसी भी कार्य में स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, निरंतरता तथा अनुशासन अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रेरक समापन : आचरण ही वास्तविक उपदेश

कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं उपयोगी बताया। समापन सत्र में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री अशोक कुमार सिंह ने महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक बार एक माता अपने बालक को अधिक मिठाई खाने की आदत छोड़ने के लिए गांधीजी के पास लेकर आई। गांधीजी ने उन्हें दो सप्ताह बाद आने के लिए कहा। दो सप्ताह पश्चात जब वे पुनः आए, तब गांधीजी ने बालक को संयम का उपदेश दिया। माता के आश्चर्य व्यक्त करने पर गांधीजी ने कहा कि दो सप्ताह पूर्व वे स्वयं मिठाई का त्याग नहीं कर पाए थे, अतः पहले उन्होंने स्वयं उस आदत को छोड़ा, तब जाकर वे बालक को उपदेश देने के योग्य हुए।

यह प्रसंग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि—

“किसी को उपदेश देने से पूर्व स्वयं उस आचरण को अपना ही वास्तविक अनुशासन है।”

निष्कर्ष : अनुशासन ही प्रगति का पथ

इस हिंदी कार्यशाला ने यह स्पष्ट किया कि अनुशासन केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली है जो व्यक्ति, संस्था तथा समाज—तीनों को उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है।

राजभाषा हिंदी का प्रभावी प्रयोग भी तभी संभव है जब कार्यालयीन कार्यप्रणाली अनुशासित, उत्तरदायी तथा समयबद्ध हो। यदि प्रत्येक कर्मचारी यह संकल्प ले कि वह अपने दैनिक कार्यों में समयपालन, नियमबद्धता तथा राजभाषा हिंदी के शुद्ध प्रयोग को अपनाएगा, तो निस्संदेह संस्थान की कार्यदक्षता एवं प्रशासनिक

गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

अतः यह आवश्यक है कि हम सभी अनुशासन को केवल नियमों के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व और कार्यसंस्कृति का अभिन्न अंग बनाएं।

निस्संदेह—

“अनुशासन लक्ष्य की दिशा देता है और लक्ष्य उपलब्धि की ओर अग्रसर करता है।”

इसी भावना के साथ यह हिंदी कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई तथा संस्थान में अनुशासित, उत्तरदायी एवं राजभाषा-समर्थ कार्यसंस्कृति के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

“हिंदी जन -जन की भाषा है और भारत की शान है।”

-मुंशी प्रेमचंद

काव्य-साहित्य



योगेश विक्रान्त
अनुसंधान सहायक
(संपर्क अधिकारी, हिंदी)

न जाने कितने मोड़ जिंदगी में आ चले गए,
किसी के साथ मे चले नहीं तो हम छले गए ।

कई तो फैसले भी फासलों के वास्ते हुए,
कई तो युद्ध बूंद बादलों के वास्ते हुए ।

कभी तो प्यार का अपार शुद्ध सार मिल गया,
यहीं से जिंदगी का जिंदगी से तार मिल गया ।

लगी जो ठेस तो ये जिंदगी कराहने लगी,
खड़े हुए ही थे कि सादगी सराहने लगी ।

अभी तो सच पता चला कि कौन मेरे साथ है,
यकीं से कह रहा हूँ मेरा मौन मेरे साथ है ।

हवा का रुख भले ही मोड़ने में न सफल हुआ,
गुरुर चकना चूर आंधियों का सब दफन हुआ ।

छुवन वो उंगलियों की जब पकड़ के दौड़ने लगा,
उसी का रक्त आज धमनियों में दौड़ने लगा ।

तपी ये जिंदगी है दिनकरों के आस-पास में,
इसीलिए तो जल रही है आग श्वास-श्वास में ।

समय लगा मगर सफल हुआ हूँ आन बान से,
मिली जो जिंदगी इसे जियूंगा स्वाभिमान से ।

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।”

— भारतेंदु हरिश्चंद्र

कविता



अशोक कुमार सिंह
हिंदी अनुवादक

कविता मन के अनुभूतिजन्य, उद्गारों का विस्फोटन है,
सम्पूर्ण विश्व मानव पीड़ा का यह शाश्वत उद्बोधन है।

बुधिया की प्रसव वेदना है घीसू माधव का द्वंद्व यहाँ,
जायसी कबीर सूर तुलसी मीरा का अनुपम छंद यहाँ।

जीवन जीने की राह मिले दुपहरिया में मृदु छांह मिले,
दलितों की वाणी बन उनके जीवन की सिसकी आह मिले।

है भोर बनारस की प्रसिद्ध लक्ष्मण पुर की खुशनुमां शाम,
मिल जायेंगे नजदीक बहुत शिव ब्रह्म और प्रभु राम श्याम।

रोने की चीख लिखी इसमें दीनों के दिल की हूक लिखी,
जो भटक रहे फुटपाथों पर उनके हिस्से की भूख लिखी।

नफरत के अंधियारों में भी कुछ प्रणय दीप बाले हमने,
मन के मरुथल में भी नयनों में खुशक अश्रु पाले हमने।

“हिन्दी का प्रचार और प्रसार राष्ट्रीय एकता का साधन है।”

— मुंशी प्रेमचंद

मोह नहीं तो क्या खोना



दीपाली पराशर
परियोजना सहायक-प्रशिक्षण

जरूरतें ...जिम्मेदारियां...ख्वाहिशें,
तीन हिस्सों में दिन गुज़र जाना है।

वस्तु-जिंदगी, दौलत-रिश्ते सब खिलौना है,
जब मोह नहीं तो क्या खोना है।

मन-मति तार का हो विस्तार,
जग कुछ करो इस पर विचार।

धुनि जमी है जिस पथ तेरी,
सब मिथ्या है ये संसार।

सरिता का बहता ये नीर,
या देखो सब गौ का क्षीर,
सो ही है ये तन की काया,
सब उपजा ये परोपकार।

वस्तु-जिंदगी, दौलत-रिश्ते सब खिलौना है,
जब मोह नहीं तो क्या खोना है।

अंधियारा भरा चंचल मन हो,
अज्ञानी एक-एक कोना है।

धन-भवन, सभी वैभव को,
जानो एक दिन खोना है।

किसी के हाथ मोती लगना है,
किसी के हाथ में रेत
किसी का बिल्कुल खाली रहना,
सो किसी के हाथ में सोना है।

वस्तु-जिंदगी, दौलत-रिश्ते सब खिलौना है,
जब मोह नहीं तो क्या खोना है।

टेढ़ों से किनारा होना है,
सीधे को ठोका जाना है,
जो समझदार है आज यहाँ पर,
उन्हीं के हाथ समझौता आना है।

किसी के मौजूदगी की कदर,
किसी को ना होना है,
बाद में तस्वीर देखकर,
उन्हें याद करके रोना है।

वस्तु-जिंदगी, दौलत-रिश्ते सब खिलौना है,
जब मोह नहीं तो क्या खोना है।

“हिन्दी देश की एकता की कड़ी है।”

— रामधारी सिंह दिनकर



मनीषा वर्मा
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

चल पड़ी है जिस डगर पे, फिर कभी थमी नहीं,
हर जगह पे वो खड़ी है , है बची जमी नहीं ।
मुश्किले तो आ गयी थी राह में बहुत मगर,
उसके वास्ते तो कोई सुबह शबनमी नहीं ।

शूल फूल बन गए तो, लक्ष्य मुस्कुरा गए,
लक्ष्य मुस्कुरा गए तो, कथ्य मुस्कुरा गए ।
डर भी जैसे उससे डर के ,रास्ते पकड़ लिए,
अनुबंध प्रीत साधना से ,बिखरते जकड़ लिए ।

इस धरा से उस गगन में, जीत का निनाद है,
ना कोई विवाद है ,सिर्फ शंखनाद है ।
पंथ में असंख्य लोग, साथ में चले मगर,
न चले भी उनकों, मेरा दिल से धन्यवाद है ।

“हिन्दी से ही भारत की आत्मा बोलती है।”

— रामधारी सिंह दिनकर

युग-युगान्तर



कुंदन सिंह
एम.टी.एस.

आज सोचो, कल देखो,
ये युग का अभियान है।

जीवन एक किताब है,
पृष्ठ पलटा, युग बदला,
यही विधि का विधान है।

सोच के देखा, देख के सोचा,
यही नव युग का निर्माण है।

नव युग है, नया भारत है,
यही नया भारत, देश का नया विस्तार है,
जय हिन्द, जय भारत।

नया भारत, पूर्ण देश वासियों का सम्मान है,
सबको नमन सबको धन्यवाद
यह मेरा अभियान है।

“हिन्दी हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार है।”

— हजारी प्रसाद द्विवेदी

अरावली पर्वतमाला



अशोक कुमार सिंह
हिंदी अनुवादक

अरावली पर्वतमाला इस धरती का श्रृंगार है,
इसकी अस्मत नहीं बची तो जीना भी धिक्कार है।

शौर्य-शिला ये गाथा गाती, वीरों के बलिदान की,
हर कण में इतिहास बसा है भारत की पहचान की,
इसके आँचल में पलती है संस्कृति की झंकार है,
अरावली पर्वतमाला इस धरती का श्रृंगार है।

जिसने रण में सिंह पुकारे, जिसने ध्वज लहराए हैं,
जिसकी गोद में ऋषि-मुनियों ने सत्य के दीप जलाए हैं,
इसके पत्थर-पत्थर में बस मातृभूमि का प्यार है,
अरावली पर्वतमाला इस धरती का श्रृंगार है।

यदि इसके वन रोएंगे तो सूखेंगे अरमान सभी,
यदि इसके शिखर झुकेंगे तो झुक जाएंगे मान सभी,
इसकी रक्षा ही भारत की सांसों का आधार है,
अरावली पर्वतमाला इस धरती का श्रृंगार है।

आओ मिलकर व्रत ये लें हम, इसकी लाज बचाएँगे,
तन-मन-धन से इसकी महिमा जग में फिर से गाएँगे,
जब तक प्राण, तिरंगे सा ऊँचा इसका सत्कार है,
अरावली पर्वतमाला इस धरती का श्रृंगार है।

“हिन्दी केवल भाषा नहीं, भावनाओं की अभिव्यक्ति है।”

— हरिवंश राय बच्चन

माँ का आँचल



मो. शादाब
डाटा एंट्री ऑपरेटर

वो माँ है, वो परिवरिश का आसमाँ है,
हर ख्वाब की शुरुआत, उसी की दास्ताँ है।
उसके कदमों में जन्नत का नूर बसता है,
वो ही तो है, जो हर घर को रोशन करता है।
बच्चे उसकी आँखों के तारे हैं,
उसकी दुआओं के सहारे हैं।
वो लोरियों में उम्मीद पिरोती है,
हर आँसू को मुस्कान में बदल देती है।
जहाँ औरत को इज्जत मिले,
वो मुल्क कभी ना झुके, ना ढले।
उसके हाथों में अगर कलम हो जाए,
तो हर बच्चे की तकदीर बदल जाए।
महिला हो तो समाज का आईना बन जाए,
बाल विकास से वतन का सीना जगमगाए।
हर बेटी को इल्म की राह दिखा दो,
ज़िन्दगी के हर रंग में नूर सजा दो।

वो औरत, जो दर्द को भी दुआ बना देती है,
जो वीरान दिलों में चिराग जला देती है।
वो ही तो है जो ज़िन्दगी सँवारती है,
माँ बनकर आने वाली नस्लों को निखारती है।
हर बच्चे की मुस्कान उसका इंतेज़ार है,
हर बेटी की उड़ान उसका ऐतबार है।
वो कलम थामे तो तालीम का दर खुल जाता है,
वो बोले तो समाज का ज़ेहन बदल जाता है।
महिला सशक्त हो तो क़ौम मज़बूत होती है,
उसकी तरक्की से ही सहर मुख्तसर होती है।
हर बच्चा अगर इल्म की रौशनी पाए,
तो मुल्क की तकदीर खुद-ब-खुद जगमगाए।
आओ, ऐसे समाज की नींव रखें जहाँ,
ना बेटी झुके, ना माँ ग़मगीन रहे वहाँ।
जहाँ हर बालक मुस्कुराए, हर नारी सम्मान पाए,
वो ही असली तरक्की की पहचान कहलाए।

“हिन्दी का विकास देश की उन्नति से जुड़ा है।”

— राजेंद्र प्रसाद

मुक्तक



योगेश विक्रान्त
अनुसंधान सहायक
(संपर्क अधिकारी, हिंदी)

सुख गंवा के कमाने शहर आ गए,
जैसे बचपन जवानी ठहर सा गए ।
कैलकुलेशन बुढ़ापे में मन कर रहा,
रात दिन सब लुटाकर के घर आ गए ।

अब जुदा हो के तुमसे न रह पाएंगे,
दासता दिल की तुमसे न कह पायेगें ।
हम तो आज़ाद हैं दिल्ली से मगर,
दिल्ली का सितम ये न सह पायेगें ।

शूल को फूल हर पल समझता रहा,
रुख बवंडर का अनकूल करता रहा ।
सारे अनुबंध स्वच्छंद हों इसलिए,
उनकी नजरों में यह भूल करता रहा ।

मुश्किलें हैं डगर में न घबराइये,
गिर के उठने की हिम्मत को दर्शाइये ।
हार से प्यार कर प्यार से हारकर,
जिंदगी के गमों से न टकराइये ।।

बचपना जब अभावों में जाने लगा,
आशियाना प्रभावों में आने लगा ।
भूख दो टूक रोटी कमाने लगी,
हर्ष आनन्द गांवों में छाने लगा ।।

“हिन्दी विश्व में भारत की पहचान है।”

— अटल बिहारी वाजपेयी

नदी को रास्ता मिलता नहीं वो खुद बनाती है



दीपाली पराशर
परियोजना सहायक-प्रशिक्षण

किनारा ज़िंदगी का दूर से बस साफ़ दिखता है,
मगर जब पास जाते हैं तो थोड़ा दूर होता है।
नदी चुपचाप बहती है, न कोई शोर करती है,
मगर उसका ही पानी पत्थरों को चूर करता है।

कभी धूपें बताती हैं कि छाया भी ज़रूरी है,
कभी प्यासें सिखाती हैं कि पानी क्यों ज़रूरी है।
जो गिरकर भी सँभल जाए वही आगे निकलता है,
नदी को रास्ता मिलता नहीं वो खुद बनाती है।

कभी लगता है मंज़िल बस यहीं पर सामने होगी,
डगर में पांव कहते हैं कि राहें भी कहानी हैं।
सितारे रात भर चुपचाप चलते आसमानों में,
तभी तो भोर की किरनों में उजली ज़िंदगानी है।

नदी कहती है धीरे से ठहरना सीख मत लेना,
अगर ठहरोगे तो पानी भी दलदल बन ही जाएगा।
चलोगे तो किसी दिन दूर सागर से मिलन होगा,
नहीं तो रेत का किस्सा हवा बन उड़ ही जाएगा।

किनारा ज़िंदगी का सच में शायद मिल भी जाता है,
मगर उससे बड़ा सुख तो सफ़र में मुस्कुराना है।

“मातृभाषा में शिक्षा से ही सच्चा ज्ञान संभव है।”

— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

मुक्तक



अशोक कुमार सिंह
हिंदी अनुवादक

मेरी बातों का देखो विस्तार कहाँ तक होता है,
समर भूमि में मत सोचो कि वार कहाँ तक होता है।
संघर्षों के चक्रव्यूह को तोड़ सफलता लायेंगे,
तब देखूंगा खुशियों का संसार कहाँ तक होता है।

नौ निहालों के हांथों तिरंगा रहे,
धर्म मज़हब को लेकर न दंगा रहे।
सबका जीवन हो सत्यं शिवं सुंदरम,
पेट भूखा न तन कोई नंगा रहे।

सजदे में किरदार मेरा बस सीधा और सरल होता है,
स्वाभिमान इतना ऊंचा है जैसे वो बादल होता है।
शब्द तूलिका संस्कार की उपमा लेकर चलते हैं,
मातु शारदा से सम्मानित ही नित अविरल होता है।

मत कहो हमने तुम्हें देखा नहीं,
शुक्र ये है बस तुम्हें रोका नहीं।
जा रहे थे तुम किसी के साथ में,
इसलिए हमने तुम्हें टोका नहीं।

यूँ न दुखती रगों पे पांव रखो,
मुद्दतों बाद मुस्कराया हूँ।
आंसुओं से भरे समन्दर से,
बच बचा के किनारे आया हूँ।

“हिन्दी हमारी संवेदना की सहज अभिव्यक्ति है।”

— महादेवी वर्मा

पत्थर-पत्थर रोता है



रियाज़ अहमद
अवर श्रेणी लिपिक

मानवता की हालत देखो, पत्थर-पत्थर रोता है,
हँसते दर्द, महकती बातों में भी भेद छिपा होता है।

आंसू और आँहों का रिश्ता, जब सिसकी से होता है,
गम का दरिया बह-बहकर, आंसू का सागर होता है।

कल्ल किसी का हुआ सड़क पर, भूप महल में सोता है,
जो भी है धनवान जगत में, मान उसी का होता है।

नफ़रत के गलियारों में, हर पग पर खंजर होता है,
है पवित्र नारी दुनिया में, फिर भी क्यों शक होता है।

हस्र यहाँ देखो औरत का, सीता जैसा होता है,
मानवता की हालत देखो, पत्थर पत्थर रोता है।

“भाषा मनुष्य की संस्कृति की वाहक होती है।”

— जयशंकर प्रसाद

जीवन पद्धति 'एक दास्ताँ'



कुंदन सिंह
एम.टी.एस.

जीवन एक अध्याय है कर्म, कर्तव्य का एक अभिप्राय है,
शुद्ध चित्त भाव से कर्म करें जो व्यक्ति, तो एक प्रभाव है।

बिन चित्त भाव से करें कर्म जो व्यक्ति, वो एक लापरवाह है,
जीवन कर्म शैली का, वो एक अभाव है,
जीवन अध्याय का वह, एक अनोखा स्वभाव है।

इंसान जब हँसता है, तो एक कोमल कली का फूल सा खिलता है,
इस हंसी के ठहाकों से सारे सार-विचार व्यक्त बखूबी मिलता है।

सर्व समृद्ध व्यापक गुणों का, व्यंगों का एक आधार है,
जीवन पद्धति एक दास्ता का, यह एक निराकार है।

जीवन पद्धति सद्गुण सद्भाव का, एक आविष्कार है,
यह मेरा भी जीवन पद्धति का एक छोटा लेख का ये आधार है।

यदि कोई त्रुटियाँ हो तो, एक छोटा सा ये मेरा विचार है।
यही राजभाषा पत्रिका का, मेरा शुभ समृद्ध पद्धति का सार है,
सम्पूर्ण भारत देश राजभाषा हिंदी को, मेरा भी नमस्कार है।

“हिन्दी जनता की भाषा है।”

— रामविलास शर्मा

मुक्तक



अशोक कुमार सिंह
हिंदी अनुवादक

मेरे अधिगम में रम की रवानी नहीं,
जो छलक जाये आँखों से पानी नहीं।
तथ्य में कथ्य में हर तरह सत्य है,
आपके जैसी मेरी कहानी नहीं।

होके मायूस मिलने न आया करो,
दिल में जो भी है खुल के बताया करो।
इस समय के लिए फिर समय हो न हो,
इसलिए हर समय मुस्कराया करो।

क्यों अधर हिल रहे हैं बताते नहीं,
इश्क है या बगावत जताते नहीं।
तेरे तिरछे नयन देख कर क्या कहें,
देखते रह गये पर अघाते नहीं।

चाँद को देखने चाँद छत पे गया,
ध्यान पूजा में था ध्यान खत पे गया।

वो प्रणय के प्रहर फिर प्रखर हो गये,
मन विरागी अचानक जगत पे गया।

तू कहे तो सही ये गुमां छोड़ दूँ,
ये ज़मीं छोड़ दूँ आसमां छोड़ दूँ।
जिससे जीवन मिला जो तुम्हें मैं मिला,
तेरी खातिर भला कैसे माँ छोड़ दूँ।

तुम मुझे प्रीति के व्याकरण में पढ़ो,
हर घड़ी हर शहर जागरण में पढ़ो।
जिस हृदय से पढ़ी भागवत श्याम ने,
ये विधा बस उसी आचरण में पढ़ो।

दीप ऐसे जले ज्योति मन हो गया,
रात्रि में भी उजाला सघन हो गया।
जगमगाने लगी है अयोध्यापुरी,
राम घर आ गये मन मगन हो गया।

“जनभाषा ही जनचेतना की आधारशिला है।”

— नागार्जुन

कथा - साहित्य

दो बगीचे दो किस्में: सफलता के दो रास्ते



योगेश विक्रान्त
अनुसंधान सहायक
(संपर्क अधिकारी, हिंदी)

एक गाँव में दो मित्र फेंकू और धरमू रहते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी। उसी गाँव के एक छोर पर फेंकू का बगीचा था और दूसरे छोर पर धरमू का बगीचा। फेंकू अपने बगीचे में बहुत कड़ी मेहनत करता था जिससे उसका बगीचा सदैव सजा-संवरा, समय से सींचा गया, जहाँ हर पौधे को उसकी ज़रूरत के अनुसार खाद और धूप मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ धरमू अपने बगीचे का ध्यान बिलकुल नहीं रखता था जिससे बगीचे के सारे पौधे अपने हाल पर उग रहे थे, कुछ सूख रहे थे, कुछ फल दे रहे थे। एक दिन दोनों के बेटे फेंकू का बेटा आदित्य और धरमू का बेटा विशाल एक साथ खेल रहे थे। तभी आदित्य ने देखा कि विशाल के हाथ में एक अद्भुत पत्थर है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। "यह पत्थर तो बहुत खास है!" आदित्य ने कहा। विशाल ने कहा, "यह तो मुझे रास्ते में मिला था। मैं ऐसे पत्थरों को पहचान सकता हूँ।" आदित्य ने तुरंत अपने पिता को यह बात बताई। फेंकू ने विशाल की इस कला को मापा और उसे समझाया, "बेटा, तुम्हारे अंदर एक खास कला है। तुम पत्थरों की भाषा समझ रहे हो।" वहीं धरमू ने कहा, "यह सब क्या बेकार की बातें हैं? पढ़ाई पर ध्यान दो।"

दूसरे दिन फेंकू ने विशाल को अपने उद्यान में बुलाया, उसने उसे रत्नों और पौधों की किताबें दीं, उसे भूविज्ञान की प्रयोगशाला सिखाई, उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया, वहीं धरमू विशाल को डांट रहा था कि वह "बेकार के काम" में समय बर्बाद कर रहा है और धरमू उसकी इस कला एवं रुचि को महत्वपूर्ण जान रहा है, लेकिन आदित्य ने अपने दोस्त विशाल की मदद की और दोनों मिलकर एक साथ पत्थर इकट्ठा करने जाते और आदित्य इंटरनेट पर खोज बीन करने में मदद करता। धीरे-धीरे विशाल का आत्मविश्वास बढ़ता गया।

एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। विशाल ने अपना इकट्ठा किये हुए पत्थरों के संग्रह को प्रस्तुत किया। विशाल के पत्थरों के संग्रह को एक विशेषज्ञ ने देखा तो वह हैरान रह गया, विशाल ने एक दुर्लभ खनिजों को पहचान लिया था यह सुनकर धरमू की आँखें खुली रह गयीं। अब उसे समझ में आने लगा कि हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है और सफलता के अनेकों रास्ते होते हैं।

अब धरमू ने अपने बेटे विशाल के इस कला से अपनी आपको गौरवान्वित महसूस करने लगा। विशाल के पिता ने विशेषज्ञ से बातचीत की ताकि विशाल को उचित प्रशिक्षण मिल सके। धरमू ने विशाल की कला को प्रोत्साहित करने के लिए गाँव में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनवाई।

धीरे-धीरे समय बीतता गया और दोनों दोस्तों ने कड़ी मेहनत की और एक दिन आदित्य एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जहाँ उसकी तर्क सम्मत सोच और अनुशासन ने उसे सफलता दिलायी वहीं दूसरी तरफ विशाल अपनी अवलोकन कौशल और अद्वितीय प्रतिभा के दम पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना।

हर बच्चा एक अलग किस्म का बीज है। कुछ बीज ऊँचे पेड़ बनते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ सुंदर फूल। हमारा काम है उनकी प्रकृति को पहचानना, उन्हें सही माहौल देना, और उन्हें उनके अपने तरीकों से बढ़ने देना। "सफलता का मतलब सबका एक जैसा होना नहीं है।

"सफलता का मतलब है अपनी खासियत को पहचानना और उसे दुनिया के सामने लाना।" जैसे दो अलग-अलग रूपों में अलग-अलग तरह के पौधे फलते-फूलते हैं, वैसे ही अलग-अलग वातावरण और मार्गदर्शन में बच्चों की प्रतिभाएँ भी अलग-अलग तरीकों से विकसित होती हैं।

"भाषा संस्कृति की आत्मा है और हिन्दी भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति।"

— हजारी प्रसाद द्विवेदी

उचित देखभाल और बाल विकास



योगेश विक्रान्त
अनुसंधान सहायक
(संपर्क अधिकारी, हिंदी)

एक गाँव में दो पड़ोसी रहते थे - श्री वर्मा और श्री शर्मा। दोनों के यहाँ एक-एक बेटा हुआ। श्री वर्मा के बेटे का नाम अर्जुन रखा गया और श्री शर्मा के बेटे का नाम वरुण। दोनों बच्चे स्वस्थ और सामान्य थे। दोनों का जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ, एक ही डॉक्टर ने डिलीवरी की। गाँव के बुजुर्ग कहते, "देखो कैसे दोनों बच्चे एक जैसे रोते हैं, एक जैसे हँसते हैं। इनमें तो जुड़वा जैसी समानता है!" श्री वर्मा शिक्षक थे।

उनका घर किताबों से भरा था। जब अर्जुन रोता, तो वर्मा जी और उनकी पत्नी उसे गोद में लेकर कविताएँ सुनाते, हल्के संगीत पर झूमते। अर्जुन के कमरे में रंग-बिरंगे खिलौने, चार्ट और किताबें थीं। जैसे ही वह बोलने लगा, उसके माता-पिता उसकी हर बात ध्यान से सुनते, उसके सवालों के जवाब देते। वहीं दूसरी ओर, श्री शर्मा व्यस्त किसान थे। वरुण के जन्म के कुछ महीने बाद ही वह खेतों के काम में डूब गए। वरुण की माँ भी घर के कामों में व्यस्त रहतीं। वरुण का बचपन टीवी के सामने और अकेले खेलते हुए बीता। उसके पास खिलौने तो थे, पर कोई उनसे खेलना नहीं सिखाता था। जब वह रोता, तो उसे चुप कराने के लिए उसे मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाता।

जब दोनों बच्चे तीन साल के हुए, तो अंतर स्पष्ट होने लगा। अर्जुन छोटे-छोटे वाक्य बोलता, अपने जूते खुद पहने की कोशिश करता, और किताबों में चित्र देखकर कहानियाँ बनाने की कोशिश करता। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता। वरुण अभी भी अस्पष्ट बोलता, जिद्दी था, और अक्सर गुस्से में खिलौने फेंकता। वह दूसरे बच्चों के साथ मिलकर नहीं खेलता था।

पांच साल की उम्र में दोनों स्कूल गए। अर्जुन पहले दिन से ही उत्सुक था। उसने शिक्षकों के सवालियों के जवाब देने की कोशिश की, नए दोस्त बनाए। उसकी रुचि पढ़ने और लिखने में थी। वरुण स्कूल जाने से डरता था। वह कक्षा में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता।

पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी। वह अक्सर बीमार होने का बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाना चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कहानी सुनाने की प्रतियोगिता थी। अर्जुन ने अपनी दादी से सुनी एक कहानी सुनाई। उसने इतने आत्मविश्वास और बहादुरी से कहानी सुनाई कि सब दंग रह गए। वहीं वरुण मंच पर खड़ा होकर रोने लगा। वह इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था।

श्री शर्मा को जब यह पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उस रात वह श्री वर्मा के घर गए। "वर्मा जी," उन्होंने पूछा, "हमारे बच्चे तो एक जैसे पैदा हुए थे। फिर आज इतना अंतर क्यों है?" श्री वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, "शर्मा जी, एक किसान के रूप में आप जानते हैं - एक ही बीज अलग-अलग मिट्टी और देखभाल में अलग-अलग पौधे देता है।"

उन्होंने समझाया, अर्जुन का वातावरण एक उपजाऊ वनस्पति जैसा है। हमने उसे पोषण दिया प्यार, ध्यान और सुरक्षा की शिक्षा दी उसको बातचीत, कहानियों और ज्ञान के द्वारा प्रोत्साहन दिया उसकी हर छोटी-बड़ी उपलब्धि का उत्सव मनाया। जबकि आपने वरुण को अनदेखा किया, एकांत में रखा और उसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। श्री शर्मा ने उस दिन वादा किया कि वह बदलेंगे। उन्होंने वरुण के साथ समय देना शुरू किया उसके साथ खेलने लगे उसे कहानियाँ सुनाने लगे उसकी पढ़ाई में रुचि लेनी शुरू की जिसके कारण धीरे-धीरे वरुण में बदलाव आने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, वह मुस्कुराने लगा, और पढ़ाई में भी सुधार हुआ।

अब वर्मा जी को समझ में आ गया कि हर बच्चा एक बीज की तरह होता है, जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। एक अच्छा बागवान बने, क्योंकि आपका माहौल ही तय करेगा कि आपके बच्चे का जीवन कैसा होगा।

यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चे का विकास सिर्फ जन्मजात गुणों पर नहीं, बल्कि उसके आस-पास के माहौल, प्यार, देखभाल और शिक्षा पर निर्भर करता है।

“हिन्दी साहित्य भारतीय जीवन की धड़कन है।”

— धर्मवीर भारती

विशेष लेख

विलंबित विकास वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का महत्त्व



नीति यादव

विशेष शिक्षिका (स्पेशल एजुकएटर)
बाल निर्देशन केन्द्र (सी.जी.सी.)

शिक्षा एवं बाल विकास

बचपन जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण चरण होता है। इसी समय बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और समाज से जुड़ना शुरू करते हैं। सामान्यतः हर बच्चा अपनी आयु के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण विकासात्मक मील के पत्थर (Developmental Milestones) प्राप्त करता है, जैसे चलना, बोलना, खेलना और दूसरों के साथ संवाद करना।

लेकिन कई बार कुछ बच्चों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाता। वे अपने साथियों की तुलना में बोलने, समझने या सामाजिक व्यवहार में पीछे रह जाते हैं। इस स्थिति को विलंबित विकास (Delayed Development) कहा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण सहायता बनती है, जो उनके विकास को नई दिशा दे सकती है।

विलंबित विकास: समझने की आवश्यकता
विलंबित विकास का अर्थ यह नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता। इसका अर्थ केवल इतना है कि बच्चे को सीखने और विकसित होने के लिए अधिक समय, विशेष विधियाँ और अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। विकास में विलंब कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है:

- भाषा और संचार विकास: बच्चा देर से बोलना शुरू करता है या अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता।
- संज्ञानात्मक विकास: नई चीजों को समझने और सीखने में कठिनाई होती है।
- मोटर विकास: चलने, दौड़ने या वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई होती है।
- सामाजिक और भावनात्मक विकास: दूसरों के साथ घुलने-मिलने या भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है।

इसके पीछे आनुवंशिक कारण, जन्म के समय की जटिलताएँ, पोषण की कमी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएँ या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिम्मेदार हो सकती हैं।

विशेष शिक्षा क्या है?

विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए तैयार की गई शिक्षा प्रणाली है जिनकी सीखने की आवश्यकताएँ सामान्य बच्चों से भिन्न होती हैं। इसमें बच्चों की क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं।

विशेष शिक्षा में कई विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं, जैसे:

- विशेष शिक्षक
- मनोवैज्ञानिक
- भाषण चिकित्सक
- व्यावसायिक चिकित्सक
- फिजियोथेरेपिस्ट

इन सभी का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है।

विशेष शिक्षा की प्रमुख भूमिकाएँ

1. प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप

यदि विकास में विलंब की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाए, तो बच्चे को समय पर सहायता मिल सकती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

2. व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP)

हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। इसलिए विशेष शिक्षा में Individualized Education Plan (IEP) तैयार की जाती है, जिसमें बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

3. संचार और भाषा कौशल का विकास

विशेष शिक्षा बच्चों को संवाद करना, अपनी बात व्यक्त करना और दूसरों को समझना सिखाती है।

4. सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास

समूह गतिविधियों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता बढ़ती है।

5. आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

विशेष शिक्षा बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़े कौशल सिखाती है, जैसे स्वयं खाना, कपड़े पहनना और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना।

समावेशी शिक्षा की दिशा में भारत

भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के लिए कई नीतियाँ लागू की गई हैं, जैसे:

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
- National Education Policy 2020

इन नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, शिक्षा से वंचित न रहे।

सरकारी योजनाएँ जो बच्चों के विकास में सहायक हैं

भारत सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं:

- Samagra Shiksha Abhiyan – समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संसाधन, विशेष शिक्षक और सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है।
- Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage – माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को समर्थन देता है।
- Rashtriya Bal Swasthya Karyakram – बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं और विकासात्मक विलंब की शुरुआती पहचान के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम।

इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को समय पर सहायता प्रदान करना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है।

एक प्रेरक उदाहरण

कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विशेष शिक्षा ने बच्चों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक बच्चा जो तीन वर्ष की आयु तक बोल नहीं पा रहा था, विशेष शिक्षा और भाषण चिकित्सा की मदद से धीरे-धीरे संवाद करना सीख गया। आज वही बच्चा विद्यालय में आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा है और अपने साथियों के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

यह उदाहरण दर्शाता है कि सही समय पर सहायता और सहयोग मिलने से बच्चों का भविष्य बदल सकता है।

अभिभावकों और समाज की भूमिका

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में अभिभावकों और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

अभिभावकों को चाहिए कि वे:

- बच्चों के विकास पर ध्यान दें
- किसी भी देरी को गंभीरता से लें
- विशेषज्ञों से सलाह लें

- बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएँ

समाज को भी ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

हर बच्चा अद्वितीय होता है और उसके भीतर अनंत संभावनाएँ होती हैं। विलंबित विकास केवल एक चुनौती है, जो सही मार्गदर्शन और

सहयोग से दूर की जा सकती है। विशेष शिक्षा न केवल बच्चों को सीखने का अवसर देती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा भी प्रदान करती है।

यदि परिवार, विद्यालय और सरकार मिलकर प्रयास करें तो हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले।

“हिंदी सरल, मधुर और सबको जोड़ने वाली भाषा है।”

— महादेवी वर्मा

सरकारी संस्थानों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वैधानिक भूमिका, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक प्रभावशीलता



रणधीर कुमार सिंह
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय प्रशासनिक संरचना में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद संस्थागत संचालन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह पद केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों तथा सेवा-मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व भी निभाता है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अनुशासन, अभिलेखीय शुचिता तथा निर्णय-प्रक्रिया की वैधानिकता का संरक्षक माना जाता है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता जैसे तत्त्वों की स्थापना में इस पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। वैधानिक आधार एवं विधि स्थिति सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कार्यक्षेत्र विभिन्न सेवा नियमों, विभागीय मैनुअलों, वित्तीय नियमावली, लेखा संहिताओं तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित होता है।

इन नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को एकरूपता, पारदर्शिता और वैधता प्रदान करना है। अधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई अभिलेखीय प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए तथा वह सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप होनी आवश्यक है। किसी भी प्रशासनिक निर्णय में विधिक औचित्य का अभाव न केवल विभागीय त्रुटि माना जाता है, बल्कि यह न्यायिक परीक्षण के अधीन भी आ सकता है।

अतः यह पद विधिक सतर्कता और नियमबद्ध कार्यप्रणाली का प्रतीक है। प्रशासनिक उत्तर दायित्व की संरचना सहायक प्रशासनिक अधिकारी संस्थान के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है। इसमें कार्मिक अभिलेखों का रख-रखाव, अवकाश प्रबंधन, सेवा पुस्तिका का संधारण, गोपनीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया, नियुक्ति एवं पदस्थापन संबंधी पत्राचार, अनुशासनात्मक मामलों का प्रारंभिक परीक्षण तथा कार्यालयीन आदेशों का निर्गमन शामिल है। प्रत्येक कार्य निर्धारित प्रारूप, समय-सीमा और नियमावली के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होता है। इस स्तर पर की गई लापरवाही प्रशासनिक बाधाओं, वित्तीय अनियमितताओं या विधिक विवादों का कारण बन सकती है। निर्णय-प्रक्रिया में भूमिका यद्यपि अंतिम निर्णय प्रायः उच्च अधिकारी द्वारा लिया जाता है, तथापि सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथ्य-संग्रह, अभिलेखीय विश्लेषण, नियमों की व्याख्या तथा विकल्पों का प्रस्तुतीकरण कर निर्णय-प्रक्रिया की आधारभूमि तैयार करता है। उसकी टिप्पणियाँ और टिप्पण-पत्र प्रशासनिक निर्णय की दिशा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वह परोक्ष रूप से नीतिगत क्रियान्वयन में सहभागी होता है। उसकी निष्पक्षता, तथ्यपरकता और विधिक समझ संस्थान की प्रशासनिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

डिजिटल प्रशासन एवं ई-कार्यालय प्रणाली वर्तमान युग में प्रशासनिक प्रक्रियाएँ डिजिटल माध्यमों पर आधारित होती जा रही हैं। ई-ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन अभिलेख प्रबंधन, डिजिटल हस्ताक्षर तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइल संचालन ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका को अधिक तकनीकी बना दिया है। अब अधिकारी को न केवल पारंपरिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग में दक्षता भी आवश्यक है। डिजिटल प्रणाली पारदर्शिता और त्वरित निर्णय को प्रोत्साहित करती है, किंतु इसके लिए डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर नियमों का अनुपालन भी अनिवार्य है।

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दायित्व किसी भी संस्थान में सेवा अनुशासन बनाए रखना प्रशासनिक दक्षता का मूल तत्त्व है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी आरोपों की प्रारंभिक जांच, दस्तावेजों का संकलन, स्पष्टीकरण की मांग, नोटिस निर्गमन तथा प्रकरण को सक्षम अधिकारी तक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का संचालन करता है।

इस दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, जैसे – पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना, निष्पक्ष जांच तथा कारणयुक्त आदेश। इन सिद्धांतों की अवहेलना से विभागीय आदेश न्यायालय में निरस्त हो सकते हैं।

लेखा एवं अभिलेखीय उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारी का एक महत्वपूर्ण दायित्व वित्तीय एवं अभिलेखीय नियंत्रण भी है। कार्यालयीन व्यय, बजट प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, निविदा प्रक्रिया तथा भुगतान स्वीकृति जैसे कार्यों में नियमों का कठोर पालन आवश्यक होता है। वित्तीय अनियमितता की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है, अतः प्रत्येक प्रविष्टि का अभिलेखीय प्रमाण सुरक्षित रखना आवश्यक है। अभिलेख प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था संस्थान की पारदर्शिता का प्रमाण मानी जाती है।

नैतिकता एवं प्रशासनिक आचरण सहायक प्रशासनिक अधिकारी का आचरण संस्थान की प्रशासनिक संस्कृति को प्रभावित करता है। निष्पक्षता, ईमानदारी, समयपालन, गोपनीयता-पालन और शिष्ट व्यवहार इस पद के मूल गुण हैं। प्रशासनिक नैतिकता का पालन न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि संस्थान के प्रति सार्वजनिक विश्वास भी सुदृढ़ करता है। किसी भी प्रकार का पक्षपात, विलंब या अनुचित लाभ प्रशासनिक विश्वसनीयता को क्षति पहुँचाता है।

समन्वय एवं संचार की भूमिका संस्थान में विभिन्न अनुभागों के बीच समन्वय स्थापित करना सहायक प्रशासनिक अधिकारी का प्रमुख कार्य है। वह विभागों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है, बैठकों की कार्यवाही तैयार करता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। प्रभावी संचार प्रणाली प्रशासनिक त्रुटियों को न्यूनतम करती है और कार्य निष्पादन की गति को बढ़ाती है।

चुनौतियाँ एवं सुधार की आवश्यकता तेजी से बदलते प्रशासनिक परिवेश में सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे – कार्यभार की अधिकता, समय-सीमा का दबाव, तकनीकी परिवर्तन, नियमों की जटिलता तथा बहुस्तरीय अनुमोदन प्रणाली। इन चुनौतियों के समाधान हेतु नियमित प्रशिक्षण, स्पष्ट दिशानिर्देश, कार्य-विभाजन की पारदर्शी व्यवस्था तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। संस्थानों को भी चाहिए कि वे इस पद की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँ।

प्रशासनिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसी भी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन उसके कार्य की समयबद्धता, अभिलेखीय शुद्धता, नियमों के अनुपालन, शिकायत निवारण की दक्षता तथा समन्वय क्षमता के आधार पर किया जाता है। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारु, पारदर्शी और विवाद रहित चल रही हो, तो यह उस अधिकारी की दक्षता का प्रमाण माना जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी सरकारी संस्थानों की प्रशासनिक प्रणाली का सतही स्तर पर क्रियान्वयन का प्रमुख अंग है। वह नियमों के अनुपालन, निर्णय-प्रक्रिया की तैयारी, अभिलेखीय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, विधिक वैधता और संगठनात्मक दक्षता सुनिश्चित करने में इस पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आवश्यक है कि इस पद पर कार्यरत अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन और स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जाँ, ताकि वे प्रशासनिक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त कर सकें।

“हिन्दी हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा है।”

— कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

पोषण वाटिका: आंगनवाड़ी लाभार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा की हरित पहल



दीपाली पराशर
परियोजना सहायक-प्रशिक्षण

वर्तमान पोषण स्थिति: एक गंभीर चुनौती

भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के अनुसार लगभग 35.5% बच्चे अविकसित, 19.3% बच्चे दुबले-पतले और लगभग 32.1% बच्चे कम वजन के हैं। इसके साथ ही लगभग 57% महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित पाई गई हैं। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि मातृ एवं शिशु पोषण को सुदृढ़ बनाने के लिए आज भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, एक नई चुनौती भी तेजी से सामने आ रही है, अत्यधिक पोषण और मोटापा। आज के समय में असंतुलित खान-पान, जंक फूड का बढ़ता प्रचलन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई बच्चे और किशोर अधिक वजन या मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इससे भविष्य में मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है।

इसी संदर्भ में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" में कई बार कुपोषण के विरुद्ध जनभागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि कुपोषण से लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि प्रत्येक परिवार और आंगनवाड़ी केंद्र में छोटी-छोटी पोषण वाटिकाएँ विकसित की जाएँ, तो

ताजी और पौष्टिक सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और संतुलित आहार की आदत विकसित होगी।

इस प्रकार आज भारत को कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा, इन तीनों चुनौतियों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश के अनुरूप, संतुलित आहार, स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग और पोषण वाटिका जैसी पहलें इस समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। पोषण वाटिका की अवधारणा

पोषण वाटिका वह छोटी सी बगिया/रसोई उद्यान होती है, जिसमें हरी सब्जियाँ, फल और अन्य पौधे उगाए जाते हैं ताकि आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों को ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर आहार उपलब्ध कराया जा सके।

पोषण वाटिका केवल पौष्टिक भोजन का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने का एक अच्छा माध्यम भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका, माताओं को बहुत सहजता के साथ यह समझा सकती हैं कि घर के छोटे से स्थान में भी सब्जियाँ उगाकर परिवार के आहार को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे परिवारों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित होती हैं।

प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका विकसित करने से बच्चों, किशोरियों तथा माताओं को ताजी हरी सब्जियाँ व अन्य उपचारात्मक पौधे

जैसे कद्दू, पालक, मेथी, टमाटर, लौकी, भिंडी, सहजन, हल्दी, अजवाइन आदि आसानी से मिल सकती हैं। इसके साथ-साथ पोषण वाटिका में मौसमी फल जैसे आम, केला, नींबू, जामुन, पीपता, खीरा, शरीफा इत्यादि भी उगाये जा सकते हैं। इन सब्जियों एवं फलों में विटामिन, खनिज तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

पोषण वाटिका के महत्त्व

पोषण वाटिका कुपोषण को कम करने और परिवारों को ताज़ा व पोषक आहार उपलब्ध कराने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसके विभिन्न स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक महत्त्व हैं:-

कुपोषण की रोकथाम में भूमिका

पोषण वाटिका से विटामिन, आयरन, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां प्राप्त होती हैं, जो बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने में सहायक होती हैं।

आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भागीदारी

पोषण वाटिका के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और समुदाय के लोग मिलकर पौधे लगाते हैं, जिससे सामुदायिक सहभागिता और पोषण के प्रति जागरुकता बढ़ती है।

पर्यावरण संरक्षण सह-हरित पहल

यह पहल हरित वातावरण को बढ़ावा देती है और लोगों को प्रकृति के करीब लाती है। बच्चों को भी पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग पोषण वाटिका में स्थानीय और मौसमी फल तथा सब्जियां उगाई जा सकती हैं, जो सस्ती और पौष्टिक होती हैं।

पोषण शिक्षा का माध्यम

पोषण वाटिका के माध्यम से आंगनवाड़ी में आने वाली माताओं और बच्चों को संतुलित आहार, सब्जियों के महत्त्व और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरुक किया जा सकता है।

आर्थिक लाभ

पोषण वाटिका से परिवार को रोज़ाना की सब्जियाँ खरीदने में कम खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अतिरिक्त उत्पादन होने पर उसे बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है।

सरकारी योजनाओं से जुड़ाव

पोषण वाटिका को पोषण अभियान और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़कर कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

स्वस्थ भविष्य की दिशा में कदम

यह पहल बच्चों और माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

पोषण वाटिका एक सरल, सस्ती और प्रभावी पहल है, जो आंगनवाड़ी लाभार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पहल सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के उद्देश्यों को साकार करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के "जनभागीदारी से कुपोषण मुक्त भारत" के संदेश को भी आगे बढ़ाती है। इसके माध्यम से न केवल ताजे और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि पोषण शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका को प्रोत्साहित करना एक स्वस्थ और पोषित समाज के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

"हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।"

- कमलापति त्रिपाठी



समय की त्रिवेणी पर खड़ी स्त्री

शिवानी कश्यप
डी.ई.ओ., सी.जी.सी.

समय आज एक वेगवती नदी है, और उसके बीच खड़ी स्त्री किसी त्रिवेणी संगम-सी दिखाई देती है—जहाँ तीन धाराएँ एक साथ बहती हैं: घर की जिम्मेदारियाँ, नौकरी का प्रवाह और स्वास्थ्य की आवश्यक एवं अनिवार्य धारा। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए केवल जीवन नहीं, एक सतत साधना है।

घर उसके लिए केवल एक छत नहीं, बल्कि एक जीवित वृक्ष है। वह इस वृक्ष की जड़ है—दिखाई भले न दे, पर पूरा अस्तित्व उसी पर टिका होता है। रसोई उसके लिए चूल्हा नहीं, एक यज्ञ-कुंड है, जहाँ वह अपने श्रम की आहुति देकर परिवार की ऊष्मा बनाए रखती है। हर दिन वह इस वृक्ष को सींचती है—कभी धूप बनकर, कभी छाँव बनकर।

नौकरी उसके जीवन का दूसरा तट है—जहाँ उसे अपने अस्तित्व की नाव को संभालते हुए पार लगाना है। यह तट स्थिर नहीं, बदलता रहता है। कभी यह खुला आकाश बनकर उसे उड़ान देता है, तो कभी प्रश्नों के बादल बनकर उसकी दिशा को ढक लेता है। उसे हर दिन अपने पंखों की मजबूती साबित करनी होती है, जैसे कोई पक्षी आँधी में भी उड़ना सीखता है।

इन दोनों के बीच उसका स्वास्थ्य एक दीपक की लौ है—जो लगातार जलती रहती है, पर जिसकी ओर ध्यान कम ही जाता है। वह दूसरों के लिए उजाला करती है, पर अपनी लौ को बचाने की चिंता अक्सर पीछे छूट जाती है। थकान उसकी देह में दस्तक देती है, पर वह उसे प्रतीक्षा में बैठा छोड़ देती है। यह दीपक जलता तो है, पर धीरे-धीरे उसका तेल कम होता जाता है।

और इन सबके ऊपर 'लड़की' होना एक ऐसी छाया है, जो उसके साथ-साथ चलती है। यह छाया कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी, पर उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। यह उसे हर कदम पर याद दिलाती है कि उसे केवल चलना ही नहीं, बल्कि हर कदम को सही भी ठहराना है।

यहाँ स्त्री-विमर्श की धुंधली-सी परछाई भी उभरती है—जैसे किसी पुरानी कहानी की प्रतिध्वनि आज भी समय में गूँज रही हो। हमें कहीं न कहीं अमृता प्रीतम के "पिंजर" की उस स्त्री का आभास मिलता है, जो परिस्थितियों के बीच अपनी पहचान खोजती है; या कृष्णा सोबती के 'मित्रो मरजानी' की वह आवाज़, जो परंपराओं की दीवारों से टकराकर भी अपने अस्तित्व को दबने नहीं देती। इन कथाओं की छाया यह बताती है कि समय बदलता है, पर स्त्री के संघर्ष के स्वर अलग-अलग रूपों में अब भी जीवित हैं।

आज की स्त्री भले ही दफ्तर की मेज़ तक पहुँच गई हो, पर उसके कंधों पर घर की वही गठरी अब भी है। वह आधुनिकता के रास्ते पर चल रही है, पर उसके पैरों में परंपराओं की धूल अब भी लगी है। यही द्वंद्व उसे और अधिक मजबूत भी बनाता है और थका भी देता है।

फिर भी, वह रुकती नहीं। वह नदी की तरह अपना मार्ग खुद बनाती है, चाहे सामने कितनी ही चट्टानें क्यों न हों। वह वृक्ष की तरह खड़ी रहती है—आँधियाँ उसे झुकाती हैं, पर गिरा नहीं पातीं। वह दीपक की तरह जलती रहती है—चुपचाप, पर निरंतर।

समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह इस त्रिवेणी को समझे। यदि घर, कार्यस्थल और स्वास्थ्य—इन तीनों धाराओं को समान महत्त्व दिया जाए, तो स्त्री का जीवन अधिक संतुलित और सशक्त हो सकता है। परिवार में कार्यों का साझा होना, कार्यस्थल पर संवेदनशीलता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता—ये सभी उस दीपक में तेल डालने के समान हैं, जो उसे लंबे समय तक उजाला देने में सक्षम बनाते हैं।

अंततः, स्त्री केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्रवाह है। वह समय की त्रिवेणी है—जहाँ जिम्मेदारी, संघर्ष और स्वप्न एक साथ बहते हैं। उसे समझना केवल उसके जीवन को समझना नहीं, बल्कि उस समाज की दिशा को समझना है, जो उसके साथ आगे बढ़ रहा है।

“हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्ताँ हमारा।”

— मोहम्मद इकबाल

मनुष्य और मनुष्यता



अशोक कुमार सिंह
हिंदी अनुवादक

आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीक के युग में भौतिक रूप से जितना उन्नत हुआ है, उतना ही वह चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से शिथिल होता जा रहा है। पहले जहाँ मनुष्यता का अर्थ था- दूसरों के सुख-दुःख में सहभागी होना, सरलता और विनम्रता का पालन करना, वहीं अब यह केवल औपचारिकता और प्रतिस्पर्धा का रूप लेती जा रही है।

आज मित्रता भी मनुष्यता की परख का माध्यम न रहकर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा बन गई है। यदि आप पहले नमस्कार करेंगे तो ही दूसरा प्रत्युत्तर देगा; यदि आप पहल नहीं करेंगे तो वह भी मौन रहेगा। यह व्यवहार मनुष्य की कुंठित मानसिकता और अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति का प्रतीक है। चारित्रिक दृष्टि से देखा जाए तो यह आचरण विनम्रता, आदर और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह अहंकार, असुरक्षा और 'मैं' की भावना का परिणाम है, जो व्यक्ति को आत्मिक शांति से दूर ले जाती है।

इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बहन के साथ चलते समय परिचित को देखकर भी अनदेखा कर देता है, तो यह केवल सामाजिक आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन का प्रतीक है। एक सच्चे मनुष्य में पारदर्शिता और निष्कपटता होती है। जिसे अपने कर्म और विचारों पर विश्वास है, उसे किसी प्रकार की झिझक या भय नहीं होता। परंतु जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को छिपाने लगता है, तो उसका चरित्र कमजोर पड़ने लगता है। चारित्रिक पतन ही आध्यात्मिक पतन की प्रथम सीढ़ी है।

वास्तव में, मनुष्यता का मूल आधार चरित्र और आत्मा का संतुलन है। यदि मनुष्य में सदाचार, सत्यनिष्ठा और करुणा है, तो वही उसकी मनुष्यता का वास्तविक रूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्यता का अर्थ है -अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखना और अहंकार का परित्याग करना। जब हम दूसरों में स्वयं को देखना सीख जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में "मानव" बनते हैं।

नाशिरा शर्मा के उपन्यास 'शाल्मली' में नायिका शाल्मली का यह कथन इस सन्दर्भ में अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है "मेरी नज़र में सही नारी मुक्ति और स्वतंत्रता समाज की सोच और स्त्री की स्थिति को बदलने में है। तलाक लेना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि स्त्री-पुरुष की सामाजिक परिकल्पना को बदलना ही वास्तविक समाधान है।" यह विचार केवल स्त्री की मुक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जब तक समाज में समानता, आदर और समझ की भावना नहीं आएगी, तब तक मनुष्य चाहे जितना शिक्षित या सम्पन्न हो जाए, वह अपनी मनुष्यता से दूर ही रहेगा।

चारित्रिक रूप से मनुष्यता हमें संयम, शील और सत्य का पाठ पढ़ाती है; वहीं आध्यात्मिक रूप से वह हमें आत्मज्ञान, प्रेम और ईश्वर भाव की ओर अग्रसर करती है। इन दोनों का समन्वय ही एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण करता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान और आधुनिकता की दौड़ में अपने चरित्र की गरिमा और आत्मा की पवित्रता को न खोएँ। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने व्यवहार में विनम्र, विचारों में निर्मल और आत्मा से निष्कपट हो। तभी कहा जा सकेगा कि "मनुष्य" में अब भी "मनुष्यता" जीवित है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, "जब चरित्र का दीपक जलता है, तभी आत्मा का प्रकाश फैलता है- और जहाँ यह प्रकाश होता है, वहीं सच्ची मनुष्यता जन्म लेती है।"

"राष्ट्र की चेतना उसकी भाषा में बसती है।"

— रामधारी सिंह दिनकर

बच्चों की समस्याओं की पहचान : मनोसामाजिक संदर्भ और 'आंतरिक आवाज'



विनोद कुमार
अनुसंधान सहायक

किसी भी बच्चे में व्यवहार संबंधी या भावनात्मक समस्या कभी एकांत में पैदा नहीं होती। हर समस्या के पीछे एक गहरा कारण और एक विशिष्ट संदर्भ होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल व्यवहार को देखकर हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुँच सकते; जब तक हम उस संदर्भ और प्रक्रिया को नहीं समझते जिसने उस व्यवहार को जन्म दिया है, तब तक कोई भी हस्तक्षेप प्रभावी नहीं हो सकता।

व्यवहार और संदर्भ के बीच का संबंध जटिल होता है, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है:

समान व्यवहार, भिन्न संदर्भ: एक विशिष्ट प्रकार की व्यवहार समस्या कई संभावित संदर्भों से उत्पन्न हो सकती है: उदाहरण के लिये, चार बच्चे जिनमें से सभी चिंताग्रस्त हैं, लेकिन चिंता का संदर्भ प्रत्येक बच्चे में भिन्न हो सकता है - एक के लिये चिंता का कारण माता-पिता के बीच वैवाहिक संघर्ष हो सकता है, दूसरे के लिये कारण बाल यौन शोषण, तीसरे के लिये कारण विद्यालय में घमकी मिलने का अनुभव और चौथे बच्चे के लिये विद्यालय के शिक्षको से सीखने में उसकी अक्षमता और उनसे पड़ने वाला दबाव उसकी चिंता का कारण हो सकता है।

समान संदर्भ, भिन्न व्यवहार: इसी तरह, एक ही संदर्भ अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग व्यवहार संबंधी समस्याएँ ला सकता है: उदाहरण के लिये, 3 बच्चे हैं जिनमें से सभी का यौन शोषण किया गया हो; लेकिन एक ही संदर्भ और अनुभव के बावजूद, उनका व्यवहार एक दूसरे से भिन्न हो सकता है - पहला बच्चा आक्रामक व्यवहार (क्रोध के कारण) दिखा सकता है; दूसरे में आत्म-क्षति/आत्महत्या का व्यवहार (अवसाद के कारण) दिख सकता है; और तीसरे बच्चे को लगातार सिरदर्द और पेट में दर्द (चिंता के कारण) हो सकता है। यहाँ तक कि जब व्यवहार समान होते हैं, तो संदर्भ अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिये ऐसी स्थिति में अलग-अलग तरह से हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है।

अर्थात् हम, एक बच्चा जो यौन शोषण का पीड़ित है (चिंताग्रस्त है) और दूसरा जिसमें सीखने की अक्षमता (लर्निंग डिसेबिलिटी) है (चिंताग्रस्त है), को अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे। उसी तरह हम उन बच्चों के लिये समान प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं जो समान संदर्भों से तो हैं पर उनके व्यवहार पूरी तरह से अलग हैं, यानि आक्रामक व्यवहार (यौन शोषण के कारण) दिखाते बच्चे और आत्म-हानि के मुद्दों से जूझते बच्चे (यौन शोषण के कारण) दोनों के लिये अलग-अलग तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसलिये, केवल व्यवहार को देखने से हमें कुछ भी नहीं पता चलता जब तक कि हम उस संदर्भ को नहीं जानते जिससे वह व्यवहार विकसित हुआ है। नतीजन, केवल व्यवहार को संबोधित करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम संदर्भ को नहीं समझते हैं और उन प्रक्रियाओं को संबोधित नहीं करते हैं जिन्होंने उस व्यवहार को जन्म दिया तब तक व्यवहार नहीं बदल सकता है। इसलिये संदर्भों को समझना समस्या की प्रकृति की पहचान करने और प्रतिक्रिया विकसित करने के लिये महत्वपूर्ण है। हस्तक्षेपों को सटीक रूप से विकसित करने के लिये, हमें संदर्भ को समझने की जरूरत है और उन प्रक्रियाओं को भी जो संदर्भ से प्रेरित व्यवहार को जन्म देते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे की स्थिति के अनुसार अलग-अलग प्रकार के हस्तक्षेपों (Interventions) की आवश्यकता होती है।

विश्लेषण की रूपरेखा: 5 प्रमुख तत्व

बच्चों के व्यवहार का पूरी तरह से विश्लेषण करने और उचित सहायता योजना बनाने के लिए इस 5-चरणीय ढांचे को समझना आवश्यक है। बच्चे के बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारी को, जिसमें बच्चे की पृष्ठभूमि और भावनात्मक और व्यवहार संबंधी मुद्दों सहित वर्तमान स्थिति भी शामिल हैं, बच्चे के संदर्भ और व्यवहार का विश्लेषण करने के लिये इस ढांचे में फिट किया जा सकता है।

1) संदर्भ/प्रसंग (Context): यह बच्चे के रहने के स्थान, वहां की व्यवस्था और पारिवारिक स्थिति को संदर्भित करता है, जहां से बच्चे को प्राथमिक अनुभव प्राप्त हुये हैं, अर्थात् यह बच्चे की दुनिया को संदर्भित करता है, जो फिर कुछ अनुभवों, भावनाओं और व्यवहारों को जन्म देता है। उदाहरण के लिये, क्या बच्चा घर पर है या किसी संस्था में है? क्या बच्चा अनाथ/छोड़ा हुआ या देखरेख कर्ता के साथ रह रहा है? क्या यह एकल अभिभावक वाला परिवार है या बच्चे की देखभाल करने वाली एक बूढ़ी दादी है? क्या माता-पिता/देखभाल करने वाले एच0आई0वी0 और/या अन्य बिमारियों से ग्रस्त हैं? क्या घर पर पारिवारिक और वैवाहिक संघर्ष (या शराब निर्भरता) है? क्या परिवार में कोई मौत हुई है?

2) अनुभव (Experience): यह रहने की व्यवस्था और परिवार की स्थिति/संस्थागत करने और उसके बाद के बच्चे के अनुभव को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिये, क्या अनाथ/छोड़े हुये या एकल माता-पिता या माता-पिता की एच0आई0वी0/बीमारी की स्थिति में बच्चे का अनुभव शारीरिक (मूल जरूरतों को प्राप्त नहीं हा रही हैं), या भावनात्मक उपेक्षा (प्यार, समर्थन, प्रोत्साहन न मिलना) से जुड़ा है? क्या बच्चे का अनुभव संस्थागत होने या परिवार में मृत्यु की स्थिति में बिछड़ने से या हानि से जुड़ा है? क्या यह यौन शोषण का अनुभव है? क्या यह परिवार/विद्यालय के कलंक और भेदभाव की प्रथाओं के कारण भावनात्मक शोषण का अनुभव है? यहाँ संदर्भ और अनुभव के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है - समान संदर्भों में रहने वाले दो बच्चों के अनुभव हमेशा समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिये, माता-पिता की मृत्यु, सतही तौर पर, हमें किसी बच्चे की हानि से जुड़े अनुभव के रूप में दिख सकती है (और वास्तव में ऐसा हो भी सकता है), लेकिन माता-पिता की मृत्यु किसी और बच्चे के लिये शायद उतनी गंभीर हानि का अनुभव न हो क्योंकि वह अपने माता-पिता को नापसंद करता था या उनके साथ उसका संबंध बहुत खराब था। इसलिये, एक दी गई स्थिति में प्रत्येक बच्चे का अनुभव अलग होता है। जहाँ उनके अनुभवों में समानतायें हो सकती हैं, वहीं असमानतायें भी हो सकती हैं, और यही कारण है कि हमें यह नहीं मानना चाहिये कि हर बच्चे का एक निश्चित अनुभव ही होगा या होना चाहिये। तो, हम इस अनुभव को कैसे समझे ? यह हमें वैचारिक ढांचे के तीसरे तत्व में लाता है, जो है बच्चे की अंतर्ध्वनि/आंतरिक आवाज।

3) अंतर्ध्वनि/आंतरिक आवाज (Internal Voice): यह बच्चे के अनुभव के आंतरिककरण (Internalization) को संदर्भित करता है, यानि बच्चा किसी भी अनुभव का क्या मतलब निकाल कर उसी को सच मानने लगता है। आघातपूर्ण घटना (अनुभव) और उसके परिणाम (व्यवहार) के बीच जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि बच्चा कैसे इसका आंतरिककरण करते हैं। अक्सर हम इस आंतरिककरण को समझे बिना समस्या के व्यवहार संबंधी अभिव्यक्तियों का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। आंतरिककरण या बच्चे की अंतर्ध्वनि से तात्पर्य है कि बच्चा आघातपूर्ण घटना को कैसे समझता और संसाधित करता है। उदाहरण के लिये एक बच्चे में, जिसने यौन शोषण का अनुभव किया है, एक सामान्य अंतर्ध्वनि/आंतरिक आवाज, "मैं क्षतिग्रस्त हूँ" और "मैं शक्तिहीन हूँ" हो सकती है या बच्चे में उस घटना का आंतरिककरण हो सकता है कि 'जो कुछ हुआ उसके लिये मैं जिम्मेदार हूँ/यह मेरी गलती है'।

यह बच्चे के दिमाग में विचार या भावना है जो मौखिक रूप से व्यक्त हो भी सकती है और नहीं भी। जब यह एक विचार के रूप में, गैर-मौखिक अवस्था में होती है, तब इसे 'अंतर्ध्वनि/आंतरिक आवाज' कहा जाता है। यहाँ तक की यदि दो बच्चों के अनुभव समान हैं, यानी दोनों में यौन शोषण के अनुभव हैं तो भी उनकी अंतर्ध्वनि/आंतरिक आवाज भिन्न हो सकती है: एक बच्चे की अंतर्ध्वनि 'मैं क्षतिग्रस्त और शक्तिहीन हूँ' हो सकती है, वहीं दूसरे बच्चे की प्रतिक्रिया 'यह उचित नहीं है, वह मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?', हो सकती है। इस प्रकार, आंतरिककरण की प्रकृति या किसी बच्चे की अंतर्ध्वनि के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि आगे उसमें किस तरह की भावनाओं का विकास होगा, और यही भावनायें आगे जाकर निश्चित व्यवहार को जन्म देती हैं।

4) भावनाएँ (Emotions): ये एक बच्चे की भावनाओं या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को संदर्भित करते हैं, जो आमतौर पर कुछ संदर्भों और अनुभवों से प्राप्त होते हैं, जो अंतर्ध्वनि के रूप में ठोस रूप लेते हैं। उदाहरण के लिये, 'मैं क्षतिग्रस्त और शक्तिहीन हूँ' जैसी अंतर्ध्वनि से निराशा और लाचारी की भावनायें पैदा होती हैं, जबकि 'यह उचित नहीं है... वह मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?' क्रोध को जन्म देता है। इसलिये, पुनः केवल संदर्भ और अनुभव ही नहीं हैं जो बच्चों की भावनाओं को निर्धारित करते हैं बल्कि ऐसा अंतर्ध्वनि भी करती है। भावनाओं के उदाहरण हैं प्रेम, घृणा, क्रोध, विश्वास, आनंद, घबराहट, भय, और दुःख।

5) व्यवहार (Behaviour): ये भावनाओं की प्रतिक्रिया या संदर्भ, अनुभव, आंतरिककरण और भावनाओं के अंतिम परिणामों को संदर्भित करते हैं। भावनाओं के विपरीत, जो मूल और प्रकृति में आंतरिक हैं और हमेशा दिखाई नहीं देती हैं, व्यवहार उन कार्यों को संदर्भित करता है जो बाहर से देखने योग्य हैं। उदाहरण के लिये, किसी को मारना, चीजों को फेंकना, रोना, चुप रहना, किसी से मेल-जोल न रखना सभी व्यवहार हैं- और उनके पीछे की भावनायें क्रोध, उदासी, चिंता आदि हो सकती हैं। इस तरह के वैचारिक ढांचे का उपयोग करके बच्चों के जीवन में आघात की घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- हस्तक्षेप, आमतौर पर उनके पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश किये बिना और ये विचार किये बिना की भावनायें कैसे उभरीं, सिर्फ व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- व्यवहार केवल एक संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है जिसमें संदर्भ, अनुभव, आंतरिककरण और भावनायें शामिल हैं। इसलिये यदि हस्तक्षेप (Intervention), व्यवहार के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है (जैसे कि बच्चे को खुद को चोट न पहुंचाने के लिये कहना) तो यह आंतरिककरण (Internalization) ('मैं क्षतिग्रस्त और शक्तिहीन हूँ') पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है, जिसने वास्तव में उस व्यवहार को जन्म दिया हो सकता है, लेकिन यदि हस्तक्षेप बच्चे के लिये सशक्तिकरण के अनुभवों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होता है ताकि उसे विश्वास दिलाया जा सके कि वह क्षतिग्रस्त नहीं है, तो यह उस बच्चे की आंतरिककरण (Internalization) को संबोधित करता है; और तब व्यवहार में भी बदलाव आयेगा।
- बच्चों की व्यक्तिगत धारणाओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुये और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इनका कैसे आंतरिककरण (Internalization) करते हैं या उनकी आंतरिक आवाजें उनकी जीवन स्थितियों और अनुभवों के संबंध में क्या हैं?, इन बातों को ध्यान में रखते हुये बच्चों की भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं को एक सुस्पष्ट संदर्भ-विशिष्ट तरीके से समझना आवश्यक है।

प्रभावी हस्तक्षेप (Intervention) की दिशा

अधिकांश हस्तक्षेप केवल व्यवहार को बदलने का प्रयास करते हैं (जैसे: "चोट मत पहुँचाओ"), जो अक्सर विफल रहते हैं क्योंकि वे उस मूल कारण को नहीं छूते जिसने व्यवहार को जन्म दिया। एक सफल हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

- आंतरिककरण को संबोधित करना: यदि हम बच्चे को सशक्त महसूस कराते हैं और उसकी इस धारणा को बदलते हैं कि "वह क्षतिग्रस्त नहीं है", तो व्यवहार स्वतः ही बदल जाएगा।
- व्यक्तिगत दृष्टिकोण: प्रत्येक बच्चे की अपनी धारणाओं और उनकी 'आंतरिक आवाज' को प्राथमिकता देना, न कि केवल सामान्यीकृत नियमों को लागू करना।

इसे हम स्कूल में होने वाली सीखने की अक्षमता (Learning Disability) और शिक्षकों के दबाव के उदाहरण से समझ सकते हैं -

सीखने का दबाव और बच्चे की आंतरिक आवाज

1. संदर्भ / प्रसंग (Context)

एक बच्चा ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ शैक्षणिक प्रदर्शन पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। उसे सीखने में कठिनाई (Learning Disability) है, जिसके कारण वह कक्षा के अन्य छात्रों की तुलना में पीछे रह जाता है।

2. अनुभव (Experience)

बच्चा लगातार शिक्षकों के दबाव का सामना करता है। उसे विद्यालय में वह समर्थन, प्रोत्साहन या प्यार नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसे हम भावनात्मक उपेक्षा की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके लिए स्कूल का अनुभव केवल तनाव और अक्षमता से भरा है।

3. अंतर्ध्वनि / आंतरिक आवाज (Internal Voice)

लगातार असफलता और दबाव के कारण बच्चे ने इस स्थिति का आंतरिककरण (Internalization) कर लिया है। उसकी आंतरिक आवाज अब उससे कहती है:

- "मैं बाकी बच्चों जैसा नहीं हूँ।"
- "मैं असफल हूँ और कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगा।"

4. भावनायें (Feelings)

इस नकारात्मक अंतर्ध्वनि के परिणामस्वरूप बच्चे के भीतर मनोवैज्ञानिक विकार पैदा होते हैं:

- चिंता (Anxiety): उसे हर समय स्कूल और शिक्षकों का भय सताता रहता है।
- निराशा (Hopelessness): अपनी स्थिति को लेकर वह पूरी तरह लाचार महसूस करता है।

5. व्यवहार (Behavior)

बच्चे की आंतरिक भावनाएं बाहर इस रूप में प्रकट होती हैं:

- वह अक्सर सिरदर्द या पेट दर्द की शिकायत करता है ताकि स्कूल न जाना पड़े।
- कक्षा में वह पूरी तरह चुप रहता है और किसी से मेल-जोल नहीं बढ़ाता।

हस्तक्षेप (Intervention) की योजना

- पारंपरिक तरीका: बच्चे को डांटना या केवल उसके सिरदर्द के लिए दवाई देना, बिना यह समझे कि यह चिंता का लक्षण है।
- इस ढांचे के अनुसार तरीका: हस्तक्षेप को बच्चे के सशक्तिकरण पर केंद्रित करना चाहिए। उसे यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि सीखने की गति भिन्न होने का अर्थ 'क्षतिग्रस्त' होना नहीं है। जब उसकी आंतरिक आवाज बदलेगी ("मैं भी सीख सकता हूँ"), तब उसके व्यवहार और स्वास्थ्य में सुधार स्वतः ही दिखने लगेगा।

निष्कर्ष:

बच्चों की भावनात्मक समस्याओं का समाधान केवल उनके कार्यों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उनकी दुनिया (संदर्भ) और उनके मन के भीतर चल रहे संवाद (अंतर्ध्वनि) को समझने और सुधारने में निहित है।

“हिन्दी की शक्ति उसकी सरलता और व्यापकता में है।”

— सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई टूल्स) : भविष्य की दिशा



मनीषा वर्मा

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

आज के युग में, जहाँ तकनीकी बदलाव तेज़ी से हो रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। एआई ने न केवल हमारे जीवन को अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाया है, बल्कि व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन सहित हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एआई टूल्स का उपयोग करके हम अब जटिल समस्याओं को सरल तरीके से हल कर सकते हैं और मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

इस डिजिटल युग में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एआई टूल्स का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जो हमारे काम करने के तरीके को और अधिक आसान और प्रभावी बना रहे हैं। इन टूल्स का उद्देश्य मानव बुद्धिमत्ता की नकल करना और उसे मशीन या कंप्यूटर प्रणाली में लागू करना है, ताकि वह जटिल कार्यों को अधिक तेज़ी से और बिना थके पूरा कर सके।

एआई टूल्स के प्रकार

स्वचालन टूल्स :-

एआई टूल्स द्वारा स्वचालन का उपयोग सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन टूल्स जो नियमित कार्यों को स्वचालित रूप से निष्पादित करते हैं, जैसे डेटा एंट्री, ईमेल का जवाब देना और अन्य प्रशासनिक कार्य।

भाषा प्रोसेसिंग टूल्स :-

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई का एक अहम हिस्सा है, जो मशीनों को मानव भाषा समझने और संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। गूगल अनुवाद, चैटबाट, और वर्चुअल सहायक (सिरी और एलेक्सा) जैसे इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ए टूल्स ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं और कंपनियों के लिए ग्राहक सेवा को सरल बनाते हैं।

छवि और वीडियो विश्लेषण:-

एआई का यह टूल कंप्यूटर को इमेज और वीडियो को पहचानने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग, वाहन स्वचालन, सुरक्षा निगरानी और यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में फोटो रेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है।

डेटा एनालिटिक्स और भविष्यवाणी:-

एआई टूल्स डेटा को गहराई से विश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं और उन डेटा से भविष्यवाणियाँ करने में मदद करते हैं। यह व्यापारिक निर्णयों को तेज़ और अधिक सटीक बनाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, एआई टूल्स का उपयोग वित्तीय बाजारों में ट्रेंड्स को पहचानने और उपभोक्ता की आदतों को समझने के लिए किया जाता है।

स्वास्थ्य देखभाल:-

एआई टूल्स स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहे हैं। एआईआधारित नैदानिक उपकरण-डॉक्टरों को जल्दी और सटीक निदान करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी और उपचार योजनाओं को भी एआई से अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

एआई टूल्स के लाभ

समय और लागत में बचत:-

एआई टूल्स कार्यों को तेज़ी से पूरा करते हैं और मानवीय त्रुटियों को कम करते हैं, जिससे समय और लागत की बचत होती है। इससे कंपनियों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने का अवसर मिलता है और वे अधिक काम कम समय में कर पाती हैं।

स्मार्ट निर्णय और रणनीतियाँ :-

एआई टूल्स द्वारा एकत्रित और विश्लेषित डेटा से अधिक स्मार्ट और सूचित निर्णय लिए जा सकते हैं। एआई के ज़रिए व्यापारिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने और भविष्य में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियाँ बनाई जाती हैं।

गुणवत्ता और सटीकता :-

एआई टूल्स निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ये न केवल उत्पादकता में सुधार करते हैं, बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित करते हैं। मानव त्रुटियों की संभावना न्यूनतम होती है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता हमेशा उच्च बनी रहती है।

व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव :-

एआई टूल्स यूज़र के अनुभव को व्यक्तिगत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफ़ाई की सिफारिश प्रणाली आपकी पसंद को समझती है और उसके आधार पर आपको कंटेंट की सिफारिश करती है। इस तरह के टूल्स ग्राहकों को एक बेहतरीन और कस्टमाइज़्ड अनुभव प्रदान करते हैं।

कामकाजी जीवन में सुधार :-

एआई टूल्स ने कामकाजी जीवन को सुविधाजनक और अधिक प्रभावी बना दिया है। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, डेटा विश्लेषण और क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी तकनीकों ने व्यवसायों में दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाया है। एआई टूल्स की मदद से हम अब अधिक समय बचाकर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान हो गया है, क्योंकि काम कम समय में पूरा होता है।

स्वास्थ्य देखभाल में सुधार:-

एआई टूल्स ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। अब डॉक्टर एआई-बेस्ड टूल्स का उपयोग करके रोगों का जल्दी और सटीक निदान कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग, बायोमेट्रिक डेटा और रोगी की मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण करके इलाज की सही योजना बनाई जाती है। इसके अलावा, वियरबल डिवाइस (जैसे स्मार्टवॉच) जो एआई की मदद से कार्य करते हैं और हमारे स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करते हैं और किसी भी समस्या के होने से पहले चेतावनी दे सकते हैं।

निजी जीवन में सुविधा :-

स्मार्ट होम डिवाइस जैसे गूगल होम, अमेज़न एलेक्सा और स्मार्ट थर्मोस्टेट्स हमारे घरों को और अधिक सुविधाजनक बना रहे हैं। एआई इन उपकरणों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता की आदतों को समझकर घर को स्मार्ट तरीके से चलाता है। इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और समय की बचत होती है।

शिक्षा में सुधार:-

एआई का सबसे बड़ा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। एडुटेक प्लेटफॉर्म जैसे खान अकादमी-, डुओलिंगो और बायजूस बच्चों को इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव प्रदान करते हैं। एआई टूल्स बच्चों के सीखने की गति और समझ के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। एआई की मदद से बच्चों को जटिल विषयों को सरल रूप में समझने का अवसर मिलता है।

खेल और मनोरंजन:-

बच्चों के खेलने और मनोरंजन के तरीकों में भी एआई का असर देखा जा रहा है। एआई आधारित शैक्षिक - खेल और ऐप्स बच्चों को खेलने के दौरान कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं। इसके अलावा, एआई द्वारा संचालित इंटरैक्टिव खिलौने और स्मार्ट गुड़िया बच्चों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें कुछ नया सिखाते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास होता है।

सुरक्षा और निगरानी :-

बच्चों की सुरक्षा में भी एआई टूल्स का बड़ा योगदान है। एआई- संचालित सुरक्षा प्रणालियाँ अब घरों के बाहर और अंदर बच्चों की निगरानी करते हैं और किसी भी अप्रत्याशित घटना पर तुरंत अलर्ट देते हैं। इसके साथ ही लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स बच्चों के स्मार्ट फ़ोन पर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे माता-पिता को उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती रहती है।

मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य :-

एआई टूल्स बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ एआई-संचालित ऐप्स बच्चों को तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास सिखाते हैं। ये ऐप्स बच्चों को योग, ध्यान और आत्म संवेदनशीलता के बारे में बताकर उन्हें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं।

एआई के नकारात्मक प्रभाव

स्वतंत्र सोच पर असर:-

बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा यह है कि एआई टूल्स से वे अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। अगर वे लंबे समय तक तकनीकी उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, तो उनकी स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता पर असर पड़ सकता है। बच्चों को अपने विचारों और कौशलों को विकसित करने के लिए स्वप्रेरित होना ज़रूरी है, और अत्यधिक एआई का उपयोग उन्हें इस दिशा में सीमित कर सकता है।

गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी खतरे :-

जब बच्चे एआई उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी संकलित होती है। अगर इस डेटा की सुरक्षा सही तरीके से नहीं की जाती, तो यह गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बच्चों के जोखिम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे साइबर सुरक्षा के खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

मानव संपर्क में कमी :-

अधिक एआई आधारित शिक्षा और मनोरंजन का इस्तेमाल बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकता है। अगर बच्चे केवल एआई उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, तो वे वास्तविक दुनिया में दोस्तों से संवाद करने और सामाजिक व्यवहार सीखने में पीछे रह सकते हैं।

रोज़गार पर असर:-

एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव यह है कि एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक रोजगार पर असर पड़ सकता है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण कई कार्य, जो पहले मानव श्रमिकों द्वारा किए जाते थे, अब मशीनों द्वारा किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एमसी किंसे की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 800 मिलियन नौकरियाँ एआई और ऑटोमेशन की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। विशेष रूप से, विनिर्माण, परिवहन और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में यह प्रभाव अधिक देखा जा सकता है।

निर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य:-

एआई टूल्स की अत्यधिक निर्भरता से मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों और युवाओं में तकनीक की लत लगने का खतरा है, जो उनकी सामाजिक जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, जब लोग केवल एआई पर निर्भर रहते हैं, तो यह उनकी स्वतंत्र सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता को कमजोर कर सकता है।

मानव हस्तक्षेप की कमी:-

एआई सिस्टम अक्सर बिना मानव हस्तक्षेप के कार्य करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मानवीय दृष्टिकोण की कमी हो सकती है। जब मशीनें फैसले लेती हैं, तो वे कभीकभी सामाजिक या सांस्कृतिक - संदर्भों को नहीं समझ पातीं, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एआईआधारित फेस - पहचान प्रणाली में भेदभावपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वे प्रशिक्षण डेटा के आधार पर काम करती हैं, जो हमेशा निष्पक्ष नहीं होता।

निष्कर्ष

एआई टूल्स तकनीकी दुनिया में एक अद्वितीय बदलाव लेकर आए हैं। इन टूल्स ने न केवल हमारे जीवन को सुविधाजनक और स्मार्ट बनाया है, बल्कि कई उद्योगों को भी नई दिशा दी है। हालाँकि, हमें इस नई तकनीक का उपयोग ज़िम्मेदारी से करना चाहिए ताकि इसके संभावित खतरों से बचा जा सके। एआई का भविष्य उज्ज्वल है और यह आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बना सकता है। अगर हम एआई का सही तरीके से उपयोग करें, तो यह मानवता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है।

**“तकनीक का एक कदम आपकी ओर,
आपका एक कदम तकनीक की ओर,
विकास की ओर ले जाता है।”**

“हिंदी भारत की आत्मा की आवाज है।”

— रामधारी सिंह दिनकर



मनीष तिवारी
डी.ई.ओ, लेखा अनुभाग

लेखा को समझना: वित्तीय प्रबंधन का आधार

परिचय

"वित्त" शब्द को 'आवश्यकता पड़ने पर धन का प्रावधान' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यावसायिक जगत में, वित्त को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। यह न केवल व्यवसाय के लिए, बल्कि किसी भी संगठन के लिए भी आवश्यक है। इसलिए, उचित प्रवाह, अर्थात् अंतर्वाह और बहिर्वाह, बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चाहे घरेलू बजट का प्रबंधन हो, छोटा व्यवसाय चलाना हो, या किसी बहुराष्ट्रीय निगम के वित्त का प्रबंधन करना हो, धन के उचित प्रवाह को बनाए रखने में लेखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखा की समझ उचित निर्णय लेने की कुंजी है।

लेखा की परिभाषा

सरल शब्दों में, लेखा वित्तीय लेन-देन का एक अभिलेख है। यह व्यक्तियों या संगठनों को आय, व्यय, परिसंपत्तियों, देनदारियों और अन्य सभी वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करने में मदद करता है।

खाते दो प्रमुख उद्देश्य पूरा करते हैं:

1. वित्तीय लेन-देन का अभिलेखन, और
2. विश्लेषण, निर्णय लेने और रिपोर्टिंग के लिए डेटा प्रदान करना।

लेखा के भाग

किसी भी वित्तीय लेन-देन के दो भाग होते हैं, अर्थात् लेखा।

- i. लाभ देने वाला, जिसे आमतौर पर "डेबिट" कहा जाता है;
- ii. लाभ प्राप्तकर्ता, जिसे आमतौर पर "क्रेडिट" कहा जाता है

लेखा के प्रकार

लेखा को उनके उपयोग के आधार पर व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं:

1. व्यक्तिगत लेखा (Personal Account)

ये व्यक्तियों, फर्मों या संस्थाओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के लेखा।

- उदाहरण- श्री जॉन का लेखा, XYZ लिमिटेड लेखा।

2. वास्तविक लेखा (Real Account)

ये परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित होते हैं। इनमें शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाई जाती है।

- उदाहरण- नकद लेखा, मशीनरी लेखा, भवन लेखा।

3. नाममात्र लेखा (Nominal Account)

ये आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित होते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि को लाभ और हानि लेखा में स्थानांतरित करके इन्हें बंद कर दिया जाता है।

- उदाहरण- किराया व्यय लेखा, बिक्री लेखा, वेतन व्यय लेखा।

लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का स्वर्णिम नियम

1. व्यक्तिगत लेखा:

डेबिट	:	लाभ का प्राप्तकर्ता।
क्रेडिट	:	लाभ देने वाला।

2. वास्तविक लेखा:

डेबिट	:	जो आता है।
क्रेडिट	:	जो जाता है।

3. नाममात्र लेखा:

डेबिट	:	सभी व्यय और हानियाँ।
क्रेडिट	:	सभी आय और लाभ।

व्यवसाय में लेखा की भूमिका

लेखांकन प्रणालियाँ वित्तीय लेनदेन को लेज़र और जर्नल में परिवर्तित करती हैं ताकि निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करना आसान हो सके:

- राजस्व और व्यय पर नज़र रखना
- लाभ प्रदता की निगरानी करना

- कर अनुपालन बनाए रखना
- वित्तीय विवरण तैयार करना
- डेटा-आधारित निर्णय लेना

लेखा का महत्व

- वित्तीय स्पष्टता: यह जानना कि धन कैसे प्रवाहित होता है, अधिक खर्च और वित्तीय नुकसान से बचने में मदद करता है।
- नियामक अनुपालन: उचित लेखांकन कानूनी और कर दायित्वों को पूरा करना सुनिश्चित करता है।
- व्यावसायिक योजना: बजट बनाने, पूर्वानुमान लगाने और रणनीतिक योजना बनाने में मदद करता है।
- निवेश विश्लेषण: निवेशक और हितधारक किसी व्यवसाय की स्थिति का आकलन करने के लिए वित्तीय लेखा पर निर्भर करते हैं।

निष्कर्ष

एक मज़बूत लेखा प्रणाली संगठन के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, लेखा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की रीढ़ है। आज के डिजिटल युग में, विभिन्न उपकरणों और तकनीकों तक पहुँच के साथ, सटीक और अद्यतन लेखा को बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आसान और महत्वपूर्ण हो गया है।

“भाषा मनुष्य की स्वतंत्रता का माध्यम है।”

— अज्ञेय

गद्य-साहित्य

हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने सम्बन्धी चुनौतियाँ



डॉ. शादाब
डी.ई.ओ., प्रशासन अनुभाग

प्रस्तावना

हिन्दी भारत की राजभाषा और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह एक भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं एकता का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के इस आधुनिक युग में हिन्दी को आत्मसात करने में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर जहाँ वैश्वीकरण एवं अंग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी के विकास में बाधा उत्पन्न की है। वहीं दूसरी ओर समाज में हिन्दी के प्रति घटती जागरूकता एक बड़ी चिन्ता का विषय है।

हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने सम्बन्धी मुख्य चुनौतियाँ :- आत्मसात करने सम्बन्धी मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं।

(i) अंग्रेजी का प्रभाव

आज की शिक्षा प्रणाली तथा कार्यक्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व स्पष्ट रूप से देखा सकता है। माता-पिता तथा अभिभावक बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में भेजना अधिक गर्व महसूस करते हैं। जिससे हिन्दी को आत्मसात करने की प्रक्रिया कमजोर होती जा रही है। इसलिए इन कार्यक्षेत्रों में हिन्दी के वर्चस्व को बढ़ाना है।

(ii) शहरीकरण तथा आधुनिकता की होड़

बड़े-बड़े शहरों तथा महानगरों में अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होने के कारण हिन्दी के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मुम्बई, बंगलुरु तथा हैदराबाद जैसे महानगरों में हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी को अधिक महत्त्व दिया जाता है। जोकि हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने की चुनौतियों में से एक है।

(iii) तकनीकी एवं डिजिटल क्षेत्रों में हिन्दी का सीमित उपयोग

ई-मेल, मोबाईल एप तथा अन्य तकनीकी संसाधनों में हिन्दी की गुणात्मक सामग्री की कमी होने के कारण इसके प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्यालय में प्रयोग होने वाले ई. ऑफिस साफ्टवेयर हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को अधिक सरलीकरण प्रदान करता है। यूनिकोड फॉण्ट ही स्वीकार करता है जबकि अन्य हिन्दी फॉण्ट जैसे कृति देव 10 एवं कृतिदेव 12 को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए तकनीकी एवं डिजिटल क्षेत्रों में हिन्दी का सीमित उपयोग होता है, जोकि एक मुख्य चुनौती के रूप में हमारे सामने साकार है।

iv) सरकारी प्रयासों में कमी

यद्यपि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा हिन्दी दिवस के रूप में तथा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन इन प्रयासों में हिन्दी को वैश्विक मंच पर एक व्यापक भाषा के रूप में

प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे भी एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।

(v) भाषायी विविधता

भारत एक ऐसा देश है। जहां पर अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। अलग-अलग राज्यों में राज्तीय भाषाएँ बोली जाती हैं। अलग-अलग राज्य अपने प्रदेश की भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जिसको पूरे देश में अलग-अलग भाषाओं के होने के चलते लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए हम कह सकते हैं, कि भाषायी विविधता एक प्रमुख चुनौती है।

(vi) शिक्षा प्रणाली में कमी

शिक्षा प्रणाली में कमी भी हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने की मुख्य चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

iii) रुढ़िवादी मानसिकता

हमारे देश में नई पीढ़ी अंग्रेजी को प्राथमिकता देने में अग्रसर है। लोगों का मानना है कि यदि हम किसी कार्यक्रम या सेमिनार, संगोष्ठी में हिन्दी में प्रस्तुति या भाषण देंगे तो उसे अन्य लोगों की अपेक्षा कम प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए रुढ़िवादी मानसिकता भी हिन्दी को आत्मसात करने की मुख्य चुनौती है।

समाधान:-

- शिक्षा प्रणाली में सुधार।
- तकनीकी क्षेत्रों में सुधार।
- रुढ़िवादी मानसिकता की समाप्ति करना।
- सरकारी प्रयासों में वृद्धि करना।
- अंग्रेजी के प्रभाव के साथ-साथ हिन्दी को विश्व पटल पर प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष :-

यद्यपि हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात करने में चुनौतियां हैं, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो हम हिन्दी को समग्र रूप से आत्मसात कर सकते हैं, इसके लिए सरकार, नागरिक एकता तथा योजनाओं के साथ हम इसको आत्मसात कर सकते हैं। हिन्दी हमारी मातृभाषा तथा राजभाषा है। जिसको बोलने, सीखने में, लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इन सब प्रयासों से हम हिन्दी को विश्व पटल पर एक समग्र भाषा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।

“हिन्दी राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार है।”

— राजेंद्र प्रसाद



विनोद कुमार
अनुसन्धान सहायक

हिंदी को समग्र रूप से आत्मसात करने संबंधी चुनौतियां

हमारे देश में कुल जनसंख्या का 42 % से अधिक भाग हिंदी भाषा का प्रयोग करता है और हमारे देश में आज़ादी के समय से ही इस बात पर विचार/मंथन हुआ कि देश की भाषा (राज भाषा) क्या होगी और संसद में एक वोट अधिक मिलने के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में (कुछ शर्तों के साथ) स्वीकार किया गया।

लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी हिंदी को स्थान नहीं दिया जा सका, जिसकी कल्पना की गयी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी के सामने प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं:-

1. भारत में भाषायी विविधता
2. हिंदी को लोक भाषा में स्थापित न करके राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश
3. अंग्रेज़ी का महिमामंडन
4. राजनैतिक पार्टियों का स्वहित की महत्ता
5. हिंदी भाषियों का उदासीन रवैया

(1) भारत में भाषायी विविधता

हमारा देश विविधताओं का देश है। रंग रूप भेष-भाषा सब में विविधता पायी जाती है, जो हम कश्मीर से कन्याकुमारी और त्रिपुरा से गुजरात तक पाते हैं। एक ऐसे देश में जहाँ कोस-कोस पर पानी और चार कोस पर बानी बदल जाती हो वहाँ किसी एक भाषा को चुनना बहुत कठिन हो जाता है। यह हमारे देश में हिंदी को समग्र रूप से आत्मसात करने की प्रमुख चुनौती भाषाई संघर्ष के रूप में प्रकट हिता है।

(2) हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश

आज़ादी के पश्चात से ही हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की कोशिशें शुरू की गईं और राज भाषा अधिनियम तक बनाया गया जबकि हिंदी को लोकभाषा बनाने की आवश्यकता थी। यदि हम हिंदी को राजभाषा की जगह लोक भाषा बनाने की कोशिश करते तो वह राजभाषा अपने अप ही बन जाती। यह राजभाषा बनाने की कोशिश ने हिंदी को दक्षिण भारत में हिंदी को और पीछे कर दिया और आज भी दक्षिण भारतीय राज्य विशेषकर तमिलनाडु जैसे राज्यों ने हिंदी को अस्वीकार कर दिया है।

(3) अंग्रेज़ी का महिमा मंडन

हमारे देश में अधिकाँश भारतीय मानसिक रूप से अंग्रेज़ी के गुलाम हो चुके हैं। जो जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेज़ी का महिमामंडन करते हैं और लोगों की योग्यता को अंग्रेज़ी के पैमाने पर नापा या तोला जाता है। आज की स्थिति यह है कि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान ही सर्वोच्च योग्यता।

(4) राजनैतिक पार्टियों का स्वहित की प्राथमिकता

क्षेत्रीय एवं कुछ राजनैतिक पार्टियों का वोट की राजनीति के कारण ही हिंदी की स्वीकार्यता में एक बाधा और चुनौती है। जहाँ देशहित न होकर स्वहित की प्राथमिकता है।

(5) हिंदी भाषियों का उदासीन रवैया

हिंदी भाषियों का अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन रवैया भी इसके लिए एक प्रमुख कारण है। दो हिंदी भाषी यदि किसी दूसरे देश में मिलते हैं तो हिंदी में बात न करके अंग्रेजी में बात करते हैं न कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषी खुद ही हिंदी को हीन मानता है।

“निज भाषा से प्रेम ही सच्चा देशप्रेम है।”

— भारतेंदु हरिश्चंद्र

स्वस्थ आदतें, स्वस्थ आप



दीपाली पराशर
परियोजना सहायक-प्रशिक्षण

एक घनी आबादी के शहरी इलाके में बहुत-सी इमारतें हर एक क्षेत्र में व्याप्त थीं। उस शहरी इलाके में कई कारखाने भी थे। सभी इमारतों, आस-पास के घरों कारखानों इत्यादि का अपशिष्ट शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित एक नहर से होकर गुजरता था।

धीरे-धीरे सभी स्थान से आने वाला अपशिष्ट नहर के चारों ओर इकट्ठा होने लगा। सभी तरह के कूड़ा-करकट व अपशिष्ट उस नहर के पानी में ठीक प्रकार से मिल नहीं पा रहे थे, जो कि जैविक अपशिष्ट में परिवर्तित हो पाने में असमर्थ थे। इस तरह से एकत्र होते कूड़े के ढेर से नहर के आस-पास बसी जनसंख्या बीमारी से ग्रस्त होने लगी। क्षेत्र में कई तरह के संक्रमण फैलने लगे।

जब कई लोगों को बढ़ते संक्रमण से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा तो मामले के निस्तारण के लिए आगे की कार्यवाही पर कुछ जोर दिया गया परन्तु सरकार की ओर से उचित प्रक्रम पर ध्यान न दिया गया। बार-बार आ रही शिकायतों के बाद सरकार के नगर निगम कर्मचारी आये तो लेकिन मामले का निपटारा न हो पाया। दिनों-दिन बढ़ते रोगियों की संख्या को देखते हुए उस क्षेत्र के छोटे-छोटे बच्चों ने स्वयं ही इस मामले से सभी को उबारने की जिम्मेदारी ली।

बच्चे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर कूड़े के ढेर को नहर से निकालना शुरू किया। कुछ बच्चों को देखकर क्षेत्र के अन्य बच्चे भी एकत्रित हुए और एक समूह में मिलकर पूरी तरह से नहर को साफ किये।

बच्चों को इस प्रकार कार्य करते हुए देखकर सभी अन्य लोगों ने उनसे पूछा -यह कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ? बच्चों ने कहा- यह सीख हमें हमारे विद्यालय से मिली है कि हमें एकजुट होकर किसी भी कार्य को करने जैसी आदतों को अपनाना चाहिए तथा कूड़े करकट को उचित स्थान पर ही डालना चाहिए। पानी में अपशिष्ट को एकत्रित होने से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं । सभी नगरवासियों ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया

निष्कर्ष :

जब हम स्वस्थ आदतों का चयन करते हैं; तो ये हमारे लिए तथा अन्य सभी क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं।

“हिन्दी की शक्ति उसकी सरलता और व्यापकता में है।”

— सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

इच्छा शक्ति



दीपक यादव
सहायक निदेशक

कलावती, एक पचपन वर्षीय विधवा महिला, जिसका संसार में कोई नहीं था, वह गांव में अकेले रहती थी। जीवनयापन के लिये गाँव के बाहर स्थित ईंट बनाने के भट्टे पर मजदूरी करती तथा प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के समय घर आती। कई वर्षों से इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। गाँव में उनकी मित्र सुशीला जो कि ग्राम प्रधान भी थी, अक्सर शाम को आकर उनसे बातें करती तो कलावती का अकेलापन कुछ दूर हो जाता था, जिस ईंट के भट्टे पर कलावती काम करती थी, उसके मालिक को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण चल बसा, तथा ईंट का भट्टा बंद हो गया और कलावती के सामने जीवनयापन हेतु कोई कार्य न होने के कारण संकट खड़ा हो गया। कलावती ने जब अपनी समस्या अपनी सहेली सुशीला से बताई तो, सुशीला ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके लायक कोई कार्य खोजेगी।

कुछ दिन बाद सुशीला ने कलावती को गाँव से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक दूसरे ईंट के भट्टे पर उसके मालिक से बात कर काम दिलवा दिया ! कलावती को यहां भी वहीं कार्य करना था जो कि वो अपने गाँव में करती थी। परन्तु अब समस्या कलावती जी के सामने रोज इतनी दूर काम पर आने व जाने की थी। चूंकि उनका गाँव सुदूर जंगली भाग में स्थित था अतः वहाँ सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, लोग घोड़ा-गाड़ी, बैलगाड़ी का उपयोग करते थे किन्तु वो भी जंगली क्षेत्र में होने के कारण सूर्यास्त से पहले घर लौट आते थे।

कलावती की इस समस्या पर सुशीला व गाँव की अन्य महिलाओं ने सुझाव दिया कि कलावती को साइकिल सभी के सहयोग से खरीद कर दे दी जाये, परन्तु कलावती को साइकिल की सवारी करना नहीं आता था। उनकी प्रतिक्रिया इस सुझाव पर काफी डराने वाली थी। कलावती ने कहा कि अब वो इस उम्र में साइकिल नहीं चला सकती।

कलावती की इस प्रतिक्रिया पर सुशीला ने कहा कि इस उम्र में एक गाँव की प्रधान बन सकती हूँ तो यदि तुम अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो तो तुम भी साइकिल चलाना सीख सकती हो, सुशीला की इस बात का समर्थन गाँव की अन्य महिलाओं ने भी किया तथा कलावती को साइकिल सीखने के लिए प्रेरित किया। सभी के प्रेरित करने पर कलावती साइकिल सीखने हेतु तैयार हो गयी !

फिर क्या गाँव की सभी महिलाओं ने सहयोग कर साइकिल खरीदी तथा कलावती को दी और सभी ने मिलकर साइकिल सीखने में कलावती को सहयोग किया, इस प्रकार कलावती कुछ दिन में साइकिल चलाकर सीख गई और साइकिल से प्रतिदिन अब वह काम पर जाने जाने लगी। एक दिन कलावती जब काम से लौटी तो सुशीला उनसे मिलने आयी, तो कलावती ने भावपूर्ण होकर सुशीला का धन्यवाद करते हुए कहा कि "बहन यदि तुम न होती तो आज मैं हो सकता है कि जीवनयापन हेतु भीख मांग रही होती! कलावती की इस बात पर सुशीला ने कलावती को गले लगाकर कहा कि बहन ये सिर्फ तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति व सीखने की ललक के कारण संभव हुआ है और हम यदि चाहें तो किसी भी उम्र में दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कार्य कर सकते हैं।

“हिन्दी हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा है।”

— कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

साइकिल वाली दीदी



मो. शादाब
डी.ई.ओ., प्रशासन अनुभाग

एक गाँव में सरिता नाम की महिला हुआ करती थी। जिसका विवाह सुरेश नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। लेकिन शादी के दस वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सरिता गरीब परिवार से थी। ऐसी दशा में उसको जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलना पड़ता था। चूंकि सरिता गरीब परिवार से थी इसलिए आने-जाने में ऐसी दशा में उसने घर पर खड़ी हुई साइकिल सीखने की ठानी। शुरुआत में साइकिल सीखते समय गाँव की अन्य महिलाएँ उसका मजाक उड़ाती थीं। लेकिन धीरे-धीरे सरिता ने साइकिल चलाना सीख लिया। अब गाँव की अन्य महिलाएँ सरिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं।

सरिता साइकिल को सीखकर बाहर जीविकोपार्जन करके अपने बच्चों और परिवार का पेट पालने लग गईं। जिसको देखकर गाँव की अन्य महिलाओं ने भी साइकिल सीखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। सरिता ने एक दिन गाँव की अन्य महिलाओं को बताया कि भारत सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल प्रदान करने की योजना लागू हुई है। जिसका लाभ उठाकर आप लोग साइकिल प्राप्त कर उसको चलाना सीख सकते हैं। धीरे-धीरे उस गाँव में मौजूद अन्य महिलाएँ भी साइकिल चलाना सीख गईं।

सरिता का साइकिल चलाना अब एक वाहन ही नहीं बल्कि गाँव में मौजूद अन्य महिलाओं के लिए हौसले का प्रतीक बन चुका था। जिसका वर्णन चित्र में किया गया है।

कहने का मतलब स्पष्ट है कि यदि आपके अन्दर आत्म विश्वास एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति है, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यही इस चित्र में वर्णित किया गया है।

एक दिन सरिता तथा अन्य महिलाओं ने साइकिल चलाने (सीखने) की खुशी में गाँव की पतली पगडंडी पर साइकिल चलाकर इसका उत्सव मनाया जो कि इस चित्र में वर्णित है।

शिक्षा

कहानी नारी सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर बनने की सीख दे रही है। कहानी सीख दे रही है कि यदि आपके अन्दर इच्छाशक्ति है तो प्रयास पूर्वक आप किसी भी कार्य को उस कार्य को कर सकते हैं। नारी सशक्तिकरण सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि स्किल को भी दर्शाता है।

“राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।”

— महात्मा गांधी

राजभाषा हिंदी पखवाड़ा, 2025-26 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में चयनित उत्कृष्ट
हिंदी स्लोगन

“जल, थल, आकाश — और खुद को रखो साफ,
वरना प्रकृति नहीं करेगी कभी माफ़।”

– श्री विनोद कुमार
अनुसंधान सहायक

“आओ एकजुट होकर हम काम करें,
आस – पास सफाई अपने नाम करें।
स्वस्थ हों सभी हर घर गलियारे में,
हम सब ऐसे अपने आरजू, अरमान करें।”

– सुश्री दीपाली पराशर
परियोजना सहायक

“साफ-सफाई जीवन का गहना,
स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं कोई सपना।
गंदगी फैलाओगे तो दुःख-रोग पाओगे,
स्वच्छता अपनाओगे तो खुशियाँ पाओगे।
जहाँ स्वच्छता वहाँ सुख संसार,
स्वस्थ जीवन ही उत्तम उपहार।”

– मोहम्मद शादाब
डाटा एंट्री ऑपरेटर

“स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन – यही है सच्चा धन।
स्वच्छता अपनाओ, स्वास्थ्य पाओ,
बेहतर कल का रस्ता अपनाओ।”

– श्रीमती श्वेता राय
आशुलिपिक ग्रेड-II

“आपका एक कदम स्वच्छता की ओर,
स्वास्थ्य का एक कदम आपकी ओर।”

– सुश्री मनीषा वर्मा
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

“जीवन के दो अनमोल धन,
स्वस्थ तन और स्वस्थ मन।”

– श्री आदित्य नैथानी
आशुलिपिक ग्रेड-I

“स्वस्थ जीवन का आधार,
स्वच्छता हर बार।”

– इशिता गोयल
परामर्शदाता (काउंसलर)

प्रशासनिक शब्दावली (Administrative Vocabulary)

क्रमांक	प्रशासनिक शब्द (Hindi Term)	English Equivalent	अर्थ / प्रयोग (Meaning / Usage)
1.	अधिसूचना	Notification	सूचना जारी करने का औपचारिक आदेश / Formal public notice or order
2.	परिपत्र	Circular	कार्यालयों को जारी सामान्य निर्देश पत्र / Official communication sent to multiple offices
3.	निर्देश	Instruction	किसी कार्य हेतु आदेश या मार्गदर्शन / Guidance or directive for an action
4.	अनुमोदन	Approval	स्वीकृति या अनुमति प्रदान करना / Granting consent or authorization
5.	कार्यवाही	Proceedings	किसी प्रक्रिया का क्रियान्वयन / Implementation of an official process
6.	निस्तारण	Disposal	प्रकरण का अंतिम समाधान / Final resolution of a case
7.	प्रेषण	Dispatch / Forwarding	दस्तावेज़ या सूचना भेजना / Sending or forwarding documents
8.	अभिलेख	Record / Document	रिकॉर्ड या दफ्तरी दस्तावेज़ / Official file or archival record
9.	प्रतिवेदन	Report	रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करना / Submission of report or statement
10.	परीक्षण	Examination / Inspection	जाँच या समीक्षा करना / To check or review
11.	समन्वय	Coordination	विभागों के बीच सहयोग स्थापित करना / Establishing inter-departmental cooperation
12.	मूल्यांकन	Evaluation	कार्य की गुणवत्ता का आकलन / Assessment of quality or performance
13.	अनुपालन	Compliance	दिए गए निर्देशों का पालन / Adhering to issued directions
14.	सत्यापन	Verification	तथ्य या सूचना की पुष्टि / Confirmation of facts or data
15.	कार्यान्वयन	Implementation	नीति या योजना का वास्तविक क्रियान्वयन / Putting plans or policies into action
16.	पर्यवेक्षण	Supervision	कार्य की निगरानी या सुपरविजन / Monitoring of work or staff
17.	अधिनियम	Act / Legislation	नियम या कानून / A rule or statutory law
18.	प्राधिकरण	Authority	अधिकार प्राप्त संस्था या व्यक्ति / Authorized body or individual
19.	अधिपत्र	Order / Warrant	औपचारिक आदेश पत्र / Formal written order
20.	संप्रेषण	Communication	सूचना का प्रसारण या संचार / Transmission or sharing of information

स्वतंत्रता दिवस, 2025 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ







(राजभाषा हिंदी पखवाड़ा)

2025-26

यादों के आईने में हिंदी पखवाड़ा





